सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की बैठक

दिनांक - 11-09-2015
समय - अपराह्ण 02:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह	3-	प्रो॰ शीतला प्रसाद उपाध्याय
4-	डा॰ रमेश प्रसाद	5-	डा॰ पुष्पा देवी
6-	डा॰ लतापंत तैलंग	7-	डा॰ विजय कुमार पाण्डेय
8-	प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी	9-	डा॰ दिनेश कुमार गर्ग
10-	वित्ताधिकारी	11-	कुलसचिव - सचिव

मंगलाचरण - प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी द्वारा

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015, 21.01.2015 एवं 15.04.2015 के कार्यवाही की पुष्टि।

विचार के क्रम में कार्यपरिषद् के सदस्य प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह ने कहा कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में कार्यक्रम संख्या-4 के कार्यवृत्त में परिषद् की बैठक के समय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अधोलिखित आपत्ति को अंकित नही किया गया है, इस सम्बन्ध में कार्यालय को कार्यवृत्त निर्गत होने के पश्चात् भी आपत्ति प्रस्तुत कर दी गयी थी। अतः सदस्यों की आपत्ति को कार्यवृत्त में अंकित किया जाय।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

आज दिनांक 10.01.2015 को चल रही कार्य परिषद की बैठक में विद्या परिषद की संस्तुतियों पर विचार के क्रम में क्रमांक 8 पर जांच समिति के सम्बन्ध में हमारा मत इस प्रकार है —

1. विद्या परिषद के निर्णय दिनांक 16.02.2014 के अनुसार गठित समिति की रिपोर्ट को भी कार्य परिषद के कार्यवृत्त में अंकित किया जाय।
2. परीक्षा समिति एवं विद्या परिषद में सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति कि "जांच कमेटी का गठन अनियमित है" और उस पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता की दिनांक 06.02.2014 की संलग्न विधिक राय से भी स्पष्ट है कि, कार्यवाही व्यक्तिगत द्वेष से अधिनियम की धारा 67 एवं 29 तथा परिनियम खण्ड 14.03 का उल्लंघन है। इस स्थिति को जानते हुए प्रशासन द्वारा जान बूझकर (विधिक राय) विद्या परिषद में नहीं प्रस्तुत की गयी।

अधिनियम एवं परिनियम के विपरीत विश्वविद्यालय में कुलपति, परीक्षा समिति, विद्या परिषद, कार्यपरिषद का कोई आदेश/निर्णय/कार्यवाही अवैध एवं शून्य है। अतः इस कार्यवाही को निरस्त किया जाय और 1985 से 2008 तक की परीक्षा के सम्बन्ध में होने वाले निर्णय को समानता के आधार पर इस प्रकरण पर भी लागू किया जाय।

सदस्य गण, कार्यपरिषद

उपर्युक्त आपत्ति संख्या-2 के विषय में कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासनिक जटिलता आने पर निर्णय लेने में मदद की आशा से विधिक राय प्राप्त की जाती है जिससे नियमानुसार निर्णय करने में सुगमता हो। विधिक राय विश्वविद्यालय अधिकारियों पर बाध्यकारी नही होती और जहाँ तक स्मरण है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित विद्यापरिषद् द्वारा विधिक राय मांगे जाने के संबंध में कोई निर्णय नही लिया गया था।

विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद् ने कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति को अंकित करने का निर्देश दिया।

उक्त के साथ कार्यपरिषद् ने परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015, 21.01.2015 एवं 15.04.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि करते हुए निर्णय लिया कि- भविष्य में **कार्यपरिषद् एवं विद्यापरिषद् की बैठकों में कार्यवृत्तियों के रिर्काडिंग हेतु आडियों एवं विडियों रिर्काडिंग कराया जाय।**

कार्यक्रम संख्या -2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015, 21.01.2015 एवं 15.04.2015 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

क्रियांवयन रिर्पोट पर विचार के क्रम में परिषद् को अवगत कराया गया कि-

1- 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत यू.जी.सी. से आवंटित अनुदान के अंतर्गत् पंचवर्षीय योजना के लिए भवन (Building's) के सम्बन्ध में आंवटित धनराशि के परिवर्तन के संदर्भ कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये निर्देश को वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

2- कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में कार्यक्रम संख्या-7 नवीन महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने पर विचार के क्रम में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन विद्यालयों/महाविद्यालयों को मान्यता हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक को दृष्टिगत कर मानक निर्धारित करने हेतु गठित समिति की निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्यपरिषद् द्वारा गठित मानक समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 में अधोलिखित निर्णय लिया गया

<u>निर्णय</u>

सम्बद्धता चाहने वाले प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित ब्यौरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा।

(क)- पाँच किलोमीटर अर्धव्यास के भीतर (ग्रामीण क्षेत्र) और एक किलोमीटर (अर्धव्यास) के भीतर (नगर क्षेत्र) में आवेदित विषय में मान्यता प्राप्त कोई अन्य सम्बद्ध संस्था नहीं है।

(ख)- महाविद्यालय के नाम ग्रामीण क्षेत्र में 20000 वर्ग फुट और नगर क्षेत्र में 10000 वर्ग फुट भूमि महाविद्यालय के नाम होनी चाहिए। महिला महाविद्यालय हेतु भूमि 10000 वर्ग फुट होना चाहिए।

(ग)- भवन- स्नातक स्तर पर एक क वर्गीय विषय की मान्यता हेतु चार व्याख्यान कक्ष, एक प्राचार्य कक्ष और एक पुस्तकालय कक्ष तथा कार्यालय कक्ष होना चाहिए। स्नातक स्तर पर दूसरे क वर्गीय विषय की मान्यता हेतु एक अतिरिक्त कक्ष चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विषय के लिए एक कक्षा कक्ष होना चाहिए। प्रत्येक व्याख्यान कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट होना चाहिए।

(घ)- महिला तथा पुरुष प्रसाधन अलग अलग होना चाहिए।

(ड)- दिनांक 10.01.2015 से पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर देने वाले महाविद्यालयों से पूर्व की दर से सम्बद्धता शुल्क तथा 10.01.2015 के पश्चात् आवेदन करने वाले महाविद्यालयों से नवीन सम्बद्धता शुल्क रू0 25000/-(पच्चीस हजार) लिया जायेगा।

(च)- प्राचीन महाविद्यालयों के उच्चीकरण अथवा अतिरिक्त विषयों की मान्यता हेतु दिनांक 10.01.2015 के पूर्व आवेदन करने वाले महाविद्यालयों से रू0 5000/- तथा इसके पश्चात् आवेदनकर्ता से रू0 10,000/- मान्यता शुल्क लिया जायेगा।

(छ)- प्रत्येक महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर एक क वर्गीय विषय की मान्यता हेतु प्राचार्य के अतिरिक्त चार अध्यापक होने चाहिए, इसमें आधुनिक विषय का एक अध्यापक अनिवार्य होगा। शेष तीन अध्यापकों में परम्परागत विषय के तीन अध्यापक होंगे, उनमें मान्यता प्राप्त करने वाले विषय का एक अध्यापक का होना अनिवार्य होगा। एक से अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु उस विषय का स्नातक स्तर पर एक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त एक अध्यापक होना अनिवार्य होगा।

27.06.15

उपकुलसचिव

सं0सं0वि0वि0, वाराणसी

पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible].2015

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, कुलपति जी कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. श्री [illegible] को इस आशय से प्रेषित कि कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में उक्त को उपस्थापित करें।
3. सम्बद्ध पत्रावली।

विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मति से समिति की संस्तुति पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

3- परिषद् ने श्री गुलाबहरि संस्कृत महाविद्यालय वृन्दावन, मथुरा के संदर्भ में कार्यवाही सम्बन्धी समस्त विवरण कार्यपरिषद् की अगली बैठक के प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

4- परिषद् ने यह निर्देश दिया कि परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में महिला छात्रावास में लिये गये निर्णय का क्रियांवयन सुनिश्चित करने हेतु निर्माण विभाग एवं सम्पत्ति विभाग का सहयोग लेते हुए कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चिच की जाय।

5- कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में कार्यक्रम संख्या-13 अवैध रूप से आवासित कर्मचारियों पर लगायें गये अर्थदण्ड पर विचार के क्रम में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गठित की गयी समिति की निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुति की गयी।

विभाग

पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

कार्यपरिषद् की बैठक 10.1.15 के कार्यक्रम संख्या 13 के अनुपालन में अवैध रूप से आवासित कर्मचारियों पर लगाये गये अर्थदण्ड पर विचार हेतु गठित समिति की बैठक आज दिनांक 12.8.15 को उप कुलसचिव (सम्पदा) के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए —

1. प्रो॰ आशुतोष मिश्र
2. डा॰ ललित कुमार चौबे — 12.8.15
3. एस॰ एन॰ सिंह (उप कुलसचिव) — 12/8/2015 — 12.8.15

समिति का निर्णय

समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि अवैध रूप से आवासित कर्मचारियों पर लगाये गये अर्थदण्ड रू 1,000/- (एक हजार रूपये) को समाप्त किया जाय। तथा नियमानुसार अवैध रूप से आवासित कर्मचारियों की जिनकी कटौती नहीं हो रही है नियमानुसार उनकी समस्त कटौती करने की संस्तुति की जाती है।

इस संस्तुति को अग्रिम कार्यपरिषद् में प्रस्तुत कर कार्यपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाय।

12.8.15   चौबे 12/8/2015   12.8.15

[illegible] प्रस्तुत प्रकरण को कार्यपरिषद् में रखा जाय।

12.8.15   12.8.15

उक्त के क्रम में परिषद् को यह भी सूचित किया गया कि समिति ने कार्यपरिषद् द्वारा जाँच के लिए दिये गये बिन्दु (टर्मस) से भिन्न बिन्दु पर संस्तुति दी है जबकि कार्यपरिषद् द्वारा पारित किया गया निर्णय निम्नलिखित रहा है -

''आवास आवंटन समिति द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली की जायें तथा जो अन्य कर्मचारी अनाधिकृत रूप से विश्वविद्यालय का आवास कब्जा कर, आवासित है उन्हें चिन्हित करने के लिए तथा उनके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही हेतु संस्तुति करने के लिए निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।

1- प्रो॰ आशुतोष मिश्र
2- डा॰ ललित कुमार चौबे
3- श्री एस॰एन॰सिंह, उपकुलसचिव(समाज कल्याण)

परिषद् के कुछ सदस्यों ने यह भी आपत्ति की कि परिषद् द्वारा उक्त निर्णय के अंकन में त्रुटि है, अर्थदण्ड वसूली के सम्बन्ध में जाँच कर संस्तुति करने के लिए परिषद् द्वारा समिति का गठन किया गया था।

सदस्यों की आपत्ति पर कुलसचिव ने परिषद् को अवगत कराया कि सम्बन्धित प्रकरण पर कार्यपरिषद् के निर्णय का सही अंकन हुआ था जो कार्यवृत्त में अंकित है, और इसी के अनुपालन में समिति गठन सम्बन्धी ज्ञाप निर्गत करते हुए जाँच समिति को निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्णय कुलपति के समक्ष लिया गया था और कार्यवाही कुलपति द्वारा अनुमोदित होने के बाद समिति के गठन की सूचना जारी की गयी थी।

प्रकरण पर विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से कर्मचारियों पर लगायें गये अर्थदण्ड एवं अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे कर्मचारियों के मामले में प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

6- कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय में खाली पड़े जमीनों एवं भवनों के उपयोग हेतु एक डेवलेपमेण्ट मास्टर प्लान प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति की निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

कार्यवृत्त

आज दिनांक 23.03.2015 को अपराह्ण अभियन्ता कार्यालय में विश्वविद्यालय में खाली पड़े जमीनों एवं भवनों के उपयोग हेतु **Development Plan** तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो० रमेश कुमार द्विवेदी
2. प्रो० प्रेम नारायण सिंह
3. प्रो० ज्ञारा मिश्रा
4. अभियन्ता सदस्य / सचिव

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए

1. विश्वविद्यालय में पूर्वनिर्मित भवनों के उपरीतल पर यदि कोई निर्माण सम्भव हो तो उसी को विस्तारित किया जाय। वर्तमान **Developed Area** में कोई नया भवन बनाना उचित नहीं होगा।
2. विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिसर एवं जी.टी.रोड के मध्यस्थित विश्वविद्यालय की खाली पड़ी जमीन पर **नाले को व्यवस्थित करके तथा गड्ढे को पाटकर**, उस जमीन का विकास किया जाय तथा वही **बहुमंजिला नया भवन बनाया जाय**। उस क्षेत्र में विशेषतः शैक्षणिक विभाग, शिक्षा शास्त्र विभाग का NCTE मानक के अनुरूप भवन, अतिथि भवन, छात्रावास आदि का निर्माण किया जाना समीचीन होगा।
3. सामुदायिक भवन को PAC से मुक्त कराया जाय तथा वहां NCC Group HQ को स्थानान्तरित किया जाय। इससे उक्त भवन, परिसर, मन्दिरों का सदुपयोग, रखरखाव भली-भाँति हो सकेगा।
4. वर्तमान NCC HQ Office भवन को खाली कराकर विश्वविद्यालय के NCC Unit को दिया जाना तथा वर्तमान वि०वि० NCC Unit कार्यालय को खाली कराकर वि०वि० NSS कार्यालय को दिया जाना उचित होगा।
5. अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास के उपर भवन निर्माण करके अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का विस्तार किया जाय।
6. आयुर्वेद महाविद्यालय की वर्तमान Building (वि०वि० का भवन) खाली कराने का प्रयास किया जाय।

उक्त प्रस्ताव को कार्यपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करके, यथाशीघ्र तदनुरूप विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सम्बद्ध राज्य / केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने एवं उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना उचित होगा।

उपर्युक्त संस्तुति पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किया।

7- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि, परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में अपनी विश्वविद्यालय परिनियम 2.10(2)में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालयीय अनुसंधान पत्रिका ''सारस्वती सुषमा'' के परामर्शदातृ सम्पादन मण्डल को अधोलिखित रूप में गठित की थी-

कुलपति	-अध्यक्ष
समस्त संकायाध्यक्ष	-सदस्य
निदेशक, अनुसन्धान संस्थान	-सम्पादक
वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष	-संयोजक

परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि सम्बन्धित निर्णय पर सदस्यों की आपत्ति एवं पूर्व व्यवस्था के अनुसार परामर्शदातृसम्पादक मण्डल के संयोजक के रूप में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के स्थान पर निदेशक अनुसंधान संस्थान को नामित करने पर परिषद् द्वारा विचार होना है।

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से ''सरस्वती सुषमा'' के परामर्शदातृ सम्पादन मण्डल में संयोजक के रूप में वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष के स्थान पर निदेशक, अनुसंधान संस्थान को सम्पादक एव संयोजक नामित किया।

8- कार्यपरिषद् ने, परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में विश्वविद्यालय स्थित सरस्वती भवन पुस्तकालय में सुरक्षित कलात्मक लिपियों में अंकित पाण्डुलिपियों की सहायता से एक कम्प्यूटर फॉंट निर्मित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु गठित समिति में, एक और सदस्य के रूप में श्री दिनेश तिवारी- सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को नामित करते हुए निर्देश दिया कि समिति अपनी संस्तुति शीघ्र प्रस्तुत करें।

9- विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर वहाँ सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा तथा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक विभागों में शिक्षकों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक्स सिस्टम लगाये जाने सम्बन्धी कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में की गयी कार्यवाही के सन्दर्भ में परिषद् को अवगत कराया गया कि कार्य से सम्बन्धित विशेषज्ञ संस्थाओं से पत्र व्यवहार कर उनसे प्रस्ताव मंगाया गया है। जिसका समुचित अध्ययन करने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

उक्त सूचना से अवगत होते हुए परिषद् ने निर्देश दिया कि कार्य पूर्ण करने हेतु शीघ्रता की जाय।

10- कार्यपरिषद् ने, परिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में दिये गये निर्देश कि, ''स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के आडिटर श्री राजेश झा को विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्यवाही की जाय'' का क्रियांवयन, न होने पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि लेखानुभाग द्वारा सम्बन्धित संस्था को तत्काल पत्र भेजकर श्री झा के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही की जाय, और परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यपरिषद् के निर्णय के क्रियांवयन में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में जाँच की जायें साथ ही परिषद् ने जाँच समिति गठित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

परिषद् ने शेष सूचना से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी निर्देश दिया कि- विश्वविद्यालय के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कार्यक्रम संख्या -3- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 08.09.2015 की संस्तुतियों पर विचार।

स्थगित

कार्यक्रम संख्या -4- वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.03.2015 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.03.2015 की अधोलिखित संस्तुति एवं पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2014-15 एवं प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2015-16 प्रस्तुत किया गया।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

वित्त समिति की बैठक

दिनांक – *24.03.2015*
समय – *अपराह्ण 02.00 बजे*
स्थान – *कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष*

(1) प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति – अध्यक्ष

(2) डा0 चमन लाल
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
वाराणसी। – सदस्य

(3) श्री ए0 के0 सिंह
अपर निदेशक,
कोषागार एवं पेंशन, वाराणसी मण्डल
वाराणसी। – सदस्य

(4) प्रो॰ मातावदल शुक्ल
पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र संकाय
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। – सदस्य

(5) श्री मुकुन्दी लाल गुप्ता, वित्त अधिकारी – सदस्य–सचिव

(6) श्री वी॰ के॰ सिन्हा, कुलसचिव – सदस्य

कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम सं0 1 – वित्त समिति की विगत बैठक दि॰ 1.12.2014 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि।

निर्णय – वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 1.12.14 के कार्य विवरण सम्पुष्टि के स्तर पर निर्णय लिया गया कि शताब्दी भवन के किराये में हुई वृद्धि के सापेक्ष कतिपय सुविधाएं बढ़ायी जाय तथा साफ/सफाई की व्यवस्था दुरूस्त की जाय इसके लिए प्रबंधक शताब्दी भवन से सुझाव प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

परिसर मे ए0टी0एम0 लगाने हेतु स्थान चिन्हित करने के लिए कार्यपरिषद के माध्यम से समिति गठित करने की संस्तुति की गई।

प्रश्नपत्र मुद्रण हेतु प्रस्तावित राशि के भुगतान में संविदा कर्मियों का पारिश्रमिक/मानदेय नियमानुसार न होने के कारण अस्वीकृत करने की संस्तुति की गई।

केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों को प्रश्नपत्र मुद्रण के कार्य में शामिल होने के कारण प्रस्तावित पारिश्रमिक मानदेय के भुगतान का प्राविधान न होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत करने की संस्तुति की गई।

सम्पुष्टि के स्तर पर विचार–विमर्श के अनन्तर वित्त समिति के सदस्य प्रो0 मातावदल शुक्ल ने अवगत कराया कि महात्मागांधी काशी विद्यापीठ में भी प्रेस से परन्तु प्रश्नपत्र मुद्रण का कार्य उक्त विश्वविद्यालय के प्रेस से नहीं कराया जाता। । कुछ सदस्यों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पिछलों वर्षों में विश्वविद्यालय से गोपनीय मुद्रण कराने में भी आउट सोर्सिंग की गई थी। इस पर सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा0 चमनलाल ने अवगत कराया कि यदि विश्वविद्यालय प्रेस में भी आउट सोर्सिंग से ही कार्य कराया जाना है तो प्रश्नपत्र मुद्रण का कार्य विश्वविद्यालय प्रेस से कराया जाना गोपनीयता एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है एवं इसमें अन्य विश्वविद्यालय के समान प्रकिया को अपनाया जाना उचित होगा।

अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन श्री ए0के0सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों का वास्तविक कार्य समय से परीक्षा कराना ही है। अतएव ऐसी परिस्थिति में परीक्षाकार्य हेतु मानदेय/पारिश्रमिक एवं अन्य अनानुमोदित व्ययों के कारण आडिट आपत्तियां उत्पन्न होती है। अतः इससे बचा जाना उचित होगा।

कुलसचिव श्री वी0के0सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रेस में प्रश्नपत्र मुद्रण के कार्य में यदि विश्वविद्यालय के कर्मियों को मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रेस से प्रश्नपत्र मुद्रण कराने पर आपत्ति नहीं है–किन्तु इस गोपनीय कार्य हेतु किसी जिम्मेदार को अधिकृत किया जाना होगा और उनकी जिम्मेदारी पर मुद्रण कराया जाना चाहिए। कुलसचिव ने इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेने से अस्वीकार किया।

कार्यक्रम संख्या 2 ग में क्रीड़ा प्रागण केवल स्कूली बच्चों के स्थान पर क्रीड़ा प्रागण केवल खेल प्रतियोगिताओं के लिए समझे जाने के संस्तुति की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिन्दुओं की सम्पुष्टि की गई।

कार्यक्रम सं0 2 – पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 एवं आय व्ययक अनुमान वर्ष 2015–16 पर विचार।

निर्णय –
पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक अनुमान पर संस्तुति प्रदान की गई तथा विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के लिए एक समिति गठित करने की संस्तुति की गई।

कार्यक्रम सं0 3– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार।

3(क) प्रो• गिरिजेश कुमार दीक्षित द्वारा अवकाश प्राप्त अध्यापको से सेवानिवृत्ति के पश्चात आवास रिक्त करने की तिथि तक आवासियों से सामान्य किराया लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पस्तुत किया गया है। उक्त पर विचार विमर्श।

निर्णय –
प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया तथा आवास आवंटन नियमावली के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित करने की संस्तुति की गई।

3(ख) प्रो• व्यास मिश्र, अध्यक्ष अध्यापक परिषद द्वारा समस्त विभागो में अध्ययन बोर्ड, अनुसन्धानोपाधि समिति, आचार्य की मौखिक परीक्षा में आने वाले विशेषज्ञों को स्थानीय मार्ग व्यय रू• 200/– के स्थान पर रू• 500/-- भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त पर विचार विमर्श।

निर्णय –
प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई।

3(ग) प्रो• रमेश कुमार द्विवेदी, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आर्युवेद एवं एलोपैथ विभाग में दवाओं की खरीद पर व्यय हेतु प्राविधानित राशि कुल रू• 3,00,000/– के स्थान पर रू• 6,00,000/– किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त पर विचार विमर्श।

निर्णय –
प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। पूर्व प्राविधानित धनराशि रू• 3,00,000/-- का नियमानुसार उपभोग के पश्चात पुनरीक्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

3(घ) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 11.04.2009 द्वारा दी गयी संस्तुति कि परीक्षा विभागीय कर्मचारियो को सात रूपये प्रति छात्र की दर से पारिश्रमिक एवं जलपान दिये जाने की भाति छात्र कल्याण संकाय कार्यालय में कार्य करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के संकायों के छात्रों के परीक्षावेदनपत्रो की जांच कार्य करने के कारण उसी प्रकार मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त पर विचार।

निर्णय –
आनलाइन परीक्षावेदन पत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

3(ङ•) माननीय कुलाधिपति की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पैरवी करने हेतु नामित अधिवक्ता श्री नीरज त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2000 से 2006 तक के देयक रू0 411380/ के भुगतान हेतु सांविद व्यय मद से रू0 411380/-- पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय –
राजभवन से जारी पत्र सं• ई1603/जी•एस• दिनांक 20 मार्च 2001 के दृष्टिगत आक्षेपित आपत्तियों को निस्तारित कराते हुए नामित अधिवक्ता श्री नीरज त्रिपाठी के देयको को नियमानुसार भुगतान किये जाने की संस्तुति की गई तथा आवश्यक होने पर उक्त मद में धनराशि पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की गई।

3(च) 2015 वर्षीय परीक्षा की तैयारियों के लिए परीक्षा विभाग द्वारा अधोलिखित प्रस्ताव किये गये हैं–
1. 2015 वर्षीय परीक्षा में कार्यरत कर्मचारियों को जलपान की व्यवस्था।
2. 2015 वर्षीय परीक्षा के परीक्षाकेन्द्रों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए लगाये गये कर्मचारियों को जलपान की व्यवस्था।
3. 2015 वर्षीय परीक्षाओं को सुचितापूर्ण/नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए 2014 वर्षीय परीक्षा की तरह उड़ाका दलों को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित किया जाने हेतु लगाये गये कर्मचारियों का चाय–बिस्कुट की व्यवस्था करना।
उक्त पर विचार

निर्णय –
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के अनन्तर सदस्यों का मत रहा कि विश्वविद्यालय का वास्तविक कार्य परीक्षा कार्य ही होने के कारण उक्त पर किसी भी प्रकार का अनानुषांगिक व्यय किया जाना उचित नही है। अतएव 2015 वर्षीय परीक्षा की तैयारियों के लिए परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

3(छ) श्री अनिल कुमार मिश्रा को कुलपति के वाहन चालक के रूप में कार्य करने के कारण रू0 300/-- प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता दिये जाने पर विचार।

निर्णय –
प्रस्तुत प्रस्ताव में परिचारक से वाहन चालक का कार्य लिये जाने को अनुचित मानते हुए प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रिक्त वाहन चालक के पद पर नई नियुक्ति करने तथा पदरिक्त रहने की स्थिति में संविदा पर वाहन चालक से कार्य लिये जाने की संस्तुति की गई।

3 (ज) 2014 वर्षीय मुख्य परीक्षा की अवधि में दिनांक 26.5.14 से परीक्षापर्यन्त परीक्षा नियंत्रण कक्ष गठित किया गया था। परीक्षा नियंत्रण कक्ष के सहायतार्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के निर्धारित समयानुसार (प्रथम पाली/द्वितीय पाली) कार्य करने के निर्देश दिये गये थे।

2013 वर्षीय मुख्य परीक्षा में दिनांक 30.4.13 से 11.5.13 तक की अवधि में प्रातः एवं सायं कार्य करने वाले कर्मियों को वित्त समिति की बैठक दि• 26.9.13 के निर्णयानुसार रू•

41940/– का भुगतान प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृति केवल 2013 वर्षीय परीक्षा के लिए थी।

अतएवं 2013 की भांति 2014 वर्षीय दिनांक 26.5.14 से प्रारम्भ होकर सम्पन्न होने वाली मुख्य परीक्षा की अवधि में परीक्षा नियंत्रण कक्ष में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कक्ष निरीक्षको की दर के समान रू॰ 90/– (नब्बे) प्रति पाली के अनुसार रू॰ 55,800/– (पचपन हजार आठ सौ) भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय –
प्रस्तुत प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण अस्वीकृत किया गया। परीक्षा नियंत्रण कक्ष में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य विश्वविद्यालय के समान दर पर भुगतान किये जाने की संस्तुति की गई।

3 (झ) सहायक निदेशक स्थानीय निधि लेखा एवं संवर्ती सम्परीक्षा सं0सं0वि0वि0, वाराणसी के पत्रांक सम्पू0/387 दि0 23.03.2015 के द्वारा अप्रयुक्त अनुदान की धनराशि रू0 5,24,45,000/– शासन को वापस किये जाने के प्रकरण में विचार।

निर्णय –
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के अनन्तर समिति नें पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का बिन्दुवार उत्तर देकर आपत्ति निस्तारित करने का निर्देश दिया।

कुलपति जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मुकुन्दी लाल गुप्ता)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

वित्त समिति की संस्तुति एवं आय-व्ययक पर विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य प्रो॰ प्रेमनारायण सिंह ने कहा कि-

1- बजट के समूह 'च-1' के अंतर्गत बिन्दु संख्या-3 में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय के अंतर्गत रू॰ 750,000/- प्राविधानित है, परन्तु पिछले वर्ष में मात्र रू॰ 72,722/- व्यय हुआ। अतः इस प्राविधानित धन के व्यय हेतु अलग-अलग फाँट का निर्धारण किया जाय। साथ ही उक्त मद के परिप्रेक्ष्य मे विभागों द्वारा माँग किये जाने पर सुगमता पूर्वक व्यय की अनुमति प्रदान की जाय।

अतः इस प्राविधानित व्यय के फाट को निर्धारित करते हुए अलग-अलग धन प्राविधानित किया जाय।

2- बिन्दु संख्या-13 में संगोष्ठी तथा शैक्षणिक परिषद् पर व्यय हेतु रू॰5000/- प्राविधानित किया गया है, जो बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाय।

3- बिन्दु संख्या-13 में शैक्षणिक कार्यक्रम बी॰एड॰/ग्रंथालय पर व्यय हेतु प्राविधानित व्यय का फाट दोनो विभागों के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाय और साथ ही इसे बढ़ाया जाय।

4- बजट के समूह 'च-2' के अंतर्गत बिन्दु संख्या-2 कान्फ्रेन्सों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि भेजने पर व्यय हेतु प्राविधानित राशि रू॰ 10000/- बहुत कम है, इस बढ़ाया जाय।

सदस्य के राय पर वित्ताधिकारी ने परिषद् के समक्ष कहा है सदस्यों के सुझाव पर कार्यवाही की जाएगी तथा बजट के संदर्भ में अन्य सुझाव भी प्राप्त करने के लिए मा॰सदस्य प्रो॰प्रेम नारायण सिंह एवं डा॰ दिनेश कुमार गर्ग से चर्चा कर कार्यवाही की जाएगी

तत् पश्चात् विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 24.03.2015 तथा पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2014-15 एवं प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2015-16 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-5- विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु शासन से प्राप्त अनुदान (शासनादेश संख्या -754/सत्तर-4-2014-5(3)/2007, दिनांक 6 जुलाई, 2015) के आलोक में वित्ताधिकारी एवं कार्यदायी संस्था इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज, नई दिल्ली के मध्य किये जाने वाले अनुबन्ध के ड्राफ्ट का अनुमोदन।

कार्यपरिषद् के समक्ष शासनादेश संख्या-754/सत्तर-4-2014-5(3)/2009, दिनांक 6 जुलाई, 2015 प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उक्त शासनादेश द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु प्रशासनिक एवं

वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य भवन के जीर्णोद्धार हेतु इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (INTACH), नई दिल्ली को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त भवन का जीर्णोद्धार कराया जाना है। उक्त प्रयोजन से विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ इन्टैक के प्रतिनिधियों के मध्य दिनांक 29.07.2015 को कुलपति महोदय से वार्ता हुई। उक्त चर्चा के दौरान इन्टैक के अधिकारी द्वारा अनुबन्ध के संबंध में प्रेषित पत्र संख्या एफ॰ 5/347/एस॰यू॰वी॰/2015-106, दिनांक 22.07.2015 तथा कार्यदायी संस्था एवं विश्वविद्यालय के मध्य होने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रारूप पर भी विचार किया गया। कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि- चूँकि इन्टैक के अनुबन्ध पत्र में पेनाल्टी क्लाज कार्यदायी संस्था द्वारा नही रखा गया था जबकि विश्वविद्यालय में निर्माण या मरम्मत आदि कार्य के लिये अन्य कार्यदायी संस्थाओं से जो अनुबन्ध किये जाते है उन सभी में पेनाल्टी क्लाज भी रखा जाता है अतः उक्त के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार की सलाह के आलोक में कुलपति महोदय के आदेश पर अनुबन्ध में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित पेनाल्टी क्लाज का समावेश कराया गया।

5. **Time Schedule-** the total time period is 24 working months

1. INTACH shall complete the project work within the fixed total time period. If INTACH fails to complete the project work within the fixed total time period then it shall be Liable to pay to SSU the fine of 10% amount of the pending estimated work and the pending work shall be completed by INTACH as early as possible.

2. After the expiry of the total time period and at the end of every subsequent calendar month INTACH shall be liable to pay fine of 5% per month amount of the pending estimated cost of the work to SSU. At the end of every three months the fine shall be enhanced with two times.

3. In any case, if INTACH abstains or unable to perform or leaves the work in incomplete condition then the INTACH shall be liable to refund the whole estimated cost of the rest of the undone project work with 10% amount of the estimated cost as fine to SSU.

उक्त ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय अभियन्ता के ई-मेल द्वारा दिनांक 08.09.2015 को इन्टैक के अधिकारियों को उनकी सहमति के लिए भेजा गया जिसके सम्बन्ध में इन्टैक के मेल दिनांक 10.09.2015 द्वारा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ।

As per your mail regarding the MOU. Clause no. 5 related to are not acceptable to us. There is no time frame agreed upon in the MOU.

Moreover there is no mention of INTACH 10% centage charges in the MOU and this need to be recorded within the MOU.

कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार अनुबन्ध-पत्र एवं इन्टैक द्वारा उस पर की गयी आपत्ति पर सम्यक् एवं गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया कि -

''उत्तर-प्रदेश शासन को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाये और शासन से यह अनुरोध करते हुए अनुमति माँगी जाये कि जिस प्रकार अन्य कार्यदायी संस्थाओं से विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य करायें जानें के लिये अनुबन्ध में पेनाल्टी क्लाज रखकर ही कार्य करायें जाते है तो क्या इन्टैक से भी इसी भाँति अनुबन्ध कराये जाने के बाद ही कार्य कराया जाना उचित होगा अथवा इन्टैक द्वारा दी गयी शर्तो के अनुसार अनुबन्ध से पेनाल्टी क्लाज हटा कर अनुबन्ध करके कार्य कराया जाना उचित होगा''।

कार्यपरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में शासन स्तर से शीघ्रता से प्रयास करके निर्देश प्राप्त किया जायें और तत् पश्चात् तदनुसार अनुबन्ध कराकर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

कार्यक्रम संख्या -6- सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 एवं 08.08.2015 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 एवं 08.08.2015 की संस्तुतियों को प्रस्तुत की गयी।

परिषद् के सदस्यों ने सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 एवं 08.08.2015 की संस्तुतियों पर विचार के क्रम में यह राय व्यक्त की कि मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 की जो संस्तुति परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी है उसमें सम्बद्धता/मान्यता समिति में कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य प्रो॰ सुभाष चन्द्र तिवारी का हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति में समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 में की गयी संस्तुतियों पर कार्यपरिषद् द्वार विचार किया जाना उचित नही होगा। उक्त संस्तुति पर प्रो॰ तिवारी का हस्ताक्षर कराने एवं उनका मत प्राप्त करने के पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

सदस्यों द्वारा उक्त राय व्यक्त करने के पश्चात् परिषद् ने सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10.04.2015 के संस्तुति को छोड़ कर सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 08.08.2015 की अधोलिखित कार्यवाही एवं संस्तुतियों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया कि समिति द्वारा संस्तुत सम्बद्धता/मान्यता सत्र 2015-16 से मान्य की जाय।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्बन्द्धता/मान्यता समिति

1- प्रो0 यदुनाथ दुबे, कुलपति	अध्यक्ष
2- प्रो. सुबाष चन्द्र तिवारी	सदस्य
3- शिक्षा निदेशक	सदस्य
4- निदेशक उच्चतर शिक्षा	सदस्य
5- कुलसचिव,	सचिव

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 08.08.2015 में विचारार्थ प्रस्तुत नये नये महाविद्यालय-

1- नवीन सम्बद्धता/मान्यता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार-

1- महावीर संस्कृत महाविद्यालय, कसारा, मऊ।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 29-7-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.9870 हेक्टेयर,कक्ष 12 एवं 1 हाल उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

2- केदारनाथ स्मारक संस्कृत महाविद्यालय, देवधारिया, इब्राहिमपट्टी, बलिया।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 1-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 8 कमरे 20×25, 1 हाल 20×30 एवं कार्यालय 20×15उपलब्ध है। उपलब्ध है। तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री एवं आचार्य साहित्य की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

3- स्वामी रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय, सरवां गोदाम मऊ।

8.8.15 8.8.15 08.08.15 08.8.15 VC

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 25-6-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1 एकड़, 17 कमरे 20×25, 1 हाल,12 कमरे 30×20, 5 कमरे 15×15 एवं 30×60 का हाल उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य, दर्शन एवं पुराणेतिहास विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

4- श्री विश्राम संस्कृत महाविद्यालय, बखरिया, रौतापार, लालगंज,बस्ती।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 20-[illegible]-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1.5 एकड़, 7 कमरे 26×20, 1 हाल, 30×20 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री एवं आचार्य साहित्य,व्याकरण विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

5- श्री विक्रमा चौबे संस्कृत महाविद्यालय, देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 6-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1 एकड़, 12 कमरे 20×25, 1 हाल, 40×25 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री एवं आचार्य साहित्य,व्याकरण विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

6- स्वामी रंतिदेव संस्कृत महाविद्यालय, श्रीपट्टी, मवैया, मीरजापुर

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक [illegible]-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.6200हेक्टेयर 3 कमरे 20×25, 1 हाल, 50×30, 2 कक्ष, 1 पुस्तकालय उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

7- पं. भगवती प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय, चुवाड़े गनेशपुर, बस्ती

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 9-7-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1 एकड़, 4 कमरे उपलब्ध हैं तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

8-मानवेन्द्र सिंह सुमन महाविद्यालय पेसारा पोस्ट ब्राह्मणपुर (झमका) केराकत जौनपुर।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक [illegible]-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 8 कमरे 28×35, 1 हाल, 40×25 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री एवं आचार्य साहित्य एवं पुराणेतिहास विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

9-श्री रामलखन सिंह शिक्षण संस्थान संस्कृत महाविद्यालय,नकहरा, खानदेव, जौनपुर

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक4-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 1 एकड़, 13 कमरे 20×30, 2 हाल, 20×50 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,व्याकरण विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

10-माँ वैष्णवी शिक्षा समिति संस्कृत महाविद्यालय, करन्जाकला, जौनपुर

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक[illegible]-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 1.56 हेक्टेयर, 8 कमरे 20×25, 2 कक्ष 20×30, 2कक्ष 20×35 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,पुराणेतिहास विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

11-बालू ब्रह्म संस्कृत महाविद्यालय, बालूछापर बरहज देवरिया

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 6-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 1 एकड़, 8 कमरे 14×26, 1 हाल 31×26उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,बौद्धदर्शन विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

12-कृष्णावती संस्कृत महाविद्यालय ओरवां सकलडीहा चन्दौली।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक [illegible]-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 1.84 एकड़, 7 कमरे 25×20, उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री एवं आचार्य साहित्य, विषय की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

2- उच्चीकरण, मान्यता का स्थायीकरण एवं विषय की सम्बद्धता/मान्यता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार-

1-श्रीमती शिवराजी मौर्य संस्कृत महाविद्यालय भीटी इलाहाबाद।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 6-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1 एकड 10 कमरे 20×25, 6 कक्ष 10×15, 2 कक्ष 25×50 2 हाल 31×26उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,व्याकरण में स्थायीकरण स्वीकार करते हुए आचार्य साहित्य, [illegible] अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

2- गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, शुक्रताल मुजफ्फरनगर।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 9-7-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 13 बीघा, 9 कमरे 25×30, 1 हाल 30×35 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को आचार्य साहित्य,व्याकरण की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

3-श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय लारिका मड़ियाहूँ जौनपुर।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 2-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.3410 हेक्टेयर 14 कमरे 30×20, 2कक्ष 25×20, 10कक्ष 20×18, 1कक्ष 80×20का उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,व्याकरण में स्थायीकरण स्वीकार करते हुए आचार्य साहित्य,व्याकरण की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

4-श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय बदायूँ।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 14-7-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि मान्यता की मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को आचार्य साहित्य अस्थायी का स्थायीकरण सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

5-श्री सरस्वती आदर्श संस्कृत महाविद्यालय खैराबाद सीतापुर।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 2-8-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1.635हेक्टेयर 5 कमरे 20×20, 1कक्ष निमार्णाधीन पुस्तकालय कक्ष 1उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता का स्थायीकरण प्रदान करने की संस्तुति करती है।

6-श्रीनाथ आदर्श संस्कृत पाठशाला देवीपुर अम्बेडकरनगर।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 23-6-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 2.63 हेक्टेयर 6 कमरे आधा बरामदा टीन शेड उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य,की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता का स्थायीकरण प्रदान करने की संस्तुति करती है।

7-संस्कृत विद्या प्रबोधनी पाठशाला हाटा कुशीनगर।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 26-6-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 95डिसीमल 7 कमरे 1 हाल उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकतायें पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को आचार्य साहित्य, व्याकरण की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने की संस्तुति करती है।

8-श्री हर्ष सावित्री संस्कृत महाविद्यालय दारागंज प्रयाग।

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 9-7-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम 7 कमरे, हाल 1, कार्यालय एक ,प्रधानाचार्य कक्ष 1, स्टोर 1, वाचनालय 1 अन्य कक्ष 2 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को आचार्य व्याकरण की अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता को स्थायी करने की संस्तुति करती है।

9-श्री कामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय कमला बाजार हाथरस

संस्तुति- विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 26-7-2015 को स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 369.82 वर्गमीटर 9 कमरे 15×15, 5हाल 24×16 उपलब्ध है तथा मान्यता की अन्य मानकानुसार औपचारिकताये पूर्ण है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को भूमि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर शास्त्री साहित्य की मान्यता की संस्तुति करती है।

10-राजकीय संस्कृत महाविद्यालय गेंजिग सिक्किम के स्थान पर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सांमदोंग पूर्व सिक्किम करने पर विचार

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल के दिनांक 28-1-2013 के स्थलीय निरीक्षण के आधार पर स्थान परिर्वतन की संस्तुति करती है।

11-श्रीकान्त संस्कृत महाविद्यालय शिक्षण व कल्याण संस्थान, रोहिया रामगढ़ कैमूर (बिहार) की पूर्व प्रदत्त मान्यता पर विचार।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि महाविद्यालय को तीन माह का समय अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिया जाय।

कार्यक्रम संख्या -7- रिट याचिका संख्या - 23475/2015 कमेटी आँफ मैनेजमेण्ट श्री कृष्णानन्द संस्कृत विद्यालय, घसियारी टोला वाराणसी बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या - 23475/2015 कमेटी आँफ मैनेजमेण्ट श्री कृष्णानन्द संस्कृत विद्यालय घसियारी टोला वाराणसी बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित अधोलिखित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

निर्णय

रिट याचिका संख्या-23475/2015 कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट श्री कृष्णानन्द संस्कृत विद्यालय, घसियारी टोला, वाराणसी बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.04.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गए हैं –

''.....Accordingly and with the consent of the parties this writ petition shall stand disposed of with a direction requiring the respondent no.2 to consider and pass appropriate orders on the representation of the petitioner dated 21-02-2015 in accordance with law. The above exercise be completed within a period of one month from the date of production of a certified copy of the order of this court. It shall be open to the petitioners to supplement the representation already made and if such supplementary representation is filed within a period of ten days from today, the same shall also be taken into consideration by the said respondent.''

श्री कृष्णानन्द संस्कृत विद्यालय, घसियारी टोला, वाराणसी को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.03.1991 द्वारा उत्तरमध्यमा तक सम्बद्धता प्रदान की गई थी। कार्यपरिषद् में उक्त विद्यालय के सम्मुख नवीन अंकित था जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र जी॰948/14 दिनांक 18.02.2015 में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र में अस्थायी अंकित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2015 के अनुपालन में प्रकरण के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में प्रस्तुत नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा एवं प्रश्नगत विद्यालय का प्रकरण एक समान है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा को 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व की स्थायी मान्यता स्वीकार की गयी है। अतः समानता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय श्री कृष्णानन्द संस्कृत विद्यालय, घसियारी टोला, वाराणसी को भी 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व की स्थायी मान्यता स्वीकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -8- रिट याचिका संख्या- 20872/2015 कमेटी आँफ मैनेजमेण्ट श्री महर्षि वशिष्ठ संस्कृत विद्यालय एवं अन्य बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या- 20872/2015 कमेटी आँफ मैनेजमेण्ट श्री महर्षि वशिष्ठ संस्कृत विद्यालय एवं अन्य बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित अधोलिखित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

निर्णय

रिट याचिका संख्या-20872/2015 कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट श्री महर्षि वशिष्ठ संस्कृत विद्यालय एवं अन्य बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.04.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गए हैं –

''.....Accordingly and in view of the above, no useful purpose would be served in keeping this writ petition pending on the board of this Court. It shall accordingly stand disposed of with a directing requiring the respondent No. 1 to consider and pass appropriate orders on the application/representation of the petitioners dated 8th December, 2014 expeditiously and preferably within a period of two months from the date of production of a certified copy of the order of this Court.''

मा॰ उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत याचिका में संलग्न याची के प्रार्थना-पत्र/प्रत्यावेदन दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 का अध्ययन किया गया और सम्बन्धित विद्यालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 30.09.1991 में यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालय को पूर्वमध्यमा तक अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है जिसके आलोक में तत्कालीन कुलसचिव श्री रामअवतार शर्मा द्वारा दिनांक 28.01.1992 को प्रमाण-पत्र जारी करते हुए पूर्वमध्यमा अस्थायी की पुष्टि की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2015 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में प्रस्तुत नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा एवं प्रश्नगत विद्यालय का प्रकरण एक समान है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा को 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व की स्थायी मान्यता स्वीकार की गयी है। अतः समानता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय श्री महर्षि वशिष्ठ संस्कृत विद्यालय नगरिया बुजुर्ग, जलालाबाद, शाहजहाँपुर को भी 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व की स्थायी मान्यता स्वीकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -9- रिट याचिका संख्या - 28912/2015, श्री संतराज सिंह, प्रबन्धक कमेटी आँफ मैनेजमेण्ट चन्द्रकान्ती शशिधर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय उद्पुर, गेल्हवा, बदलापुर, जौनपुर तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या - 28912/2015, श्री संतराज सिंह, प्रबन्धक कमेटी आँफ मैनेजमेण्ट चन्द्रकान्ती शशिधर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय उद्पुर, गेल्हवा, बदलापुर, जौनपुर तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित अधोलिखित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

निर्णय

रिट याचिका संख्या-28912/2015 श्री सन्तराज सिंह, प्रबन्धक कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट चन्द्रकान्ती शशिधर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय उद्पुर, गेल्हवा, बदलापुर, जौनपुर तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य में मा॰उ॰ न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19.5.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गए हैं –

'.....Accordingly, in light of the above stand struck by the parties, the writ petition shall stand disposed of leaving it open to the respondents to consider and pass appropriate orders on the applications of the petitioners referred to hereinabove in accordance with law. It shall further be open to the petitioners to supplement the representation said to have been preferred before the respondent no.2. In case such supplementary representation is filed within a period of ten days from today, the same shall also be taken into account by the

Registrar and the Registrar shall proceed to consider the aforesaid applications expeditiously and dispose of the same preferably within a period of one month from the date of production of a certified copy of the order of this Court.''

मा॰ उच्चन्यायालय के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय के प्रबन्धक ने निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 26.5.2015 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि चन्द्रकान्ती शशिधर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय उद्पुर, गेल्हवा, बदलापुर, जौनपुर को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.08.1997 द्वारा पूर्वमध्यमा की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा विगत अनेक वर्ष से लगातार वर्ष 2000 तक उनके विद्यालय के परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता रहा और वर्ष 2001 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन होने पर मध्यमा पर्यन्त कक्षा तक के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से वर्ष 2001 से परीक्षाओं का संचालन होने लगा। अस्थायी मान्यता के स्थायीकरण के लिए प्रार्थी ने आवेदन किया और कई बार अनुरोध भी किया किन्तु उन्हें स्थायीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हुआ।

उक्त प्रत्यावेदन के आलोक में सम्बन्धित पत्रावली तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विश्वविद्यालय के अभिलेखानुसार इस महाविद्यालय को मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14.08.1997 को पूर्वमध्यमा पाठ्यक्रम की अस्थायी मान्यता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी थी जिसे कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.08.1997 को अनुमोदित किया गया था। इस कारण चन्द्रकान्ती शशिधर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय उद्पुर, गेल्हवा, बदलापुर, जौनपुर को विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी सूची-जी॰ 948/14 दिनांक 18.02.2015 के क्रम संख्या-81 पर अस्थायी मान्यता दिखाई गयी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.05.2015 के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में प्रस्तुत नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा एवं प्रश्नगत विद्यालय का प्रकरण एक समान है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा को 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व की स्थायी मान्यता स्वीकार की गयी है। उक्त के आधार पर तथा दोनों विद्यालयों की परिस्थिति के समानता के आलोक में चन्द्रकान्ती शशिधर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय उद्पुर, गेल्हवा, बदलापुर, जौनपुर को भी दिनांक 31.10.2000 से स्थायी मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। तद्नुसार प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन दिनांक 26.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 19.05.2015 के आलोक में निस्तारित किया जाता है।

परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -10-रिट याचिका संख्या- 24026/2015, कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट संस्कृत पाठशाला गोसाईपुर, बलिया बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या- 24026/2015, कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट संस्कृत पाठशाला गोसाईपुर, बलिया बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में मा॰ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित अधोलिखित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

निर्णय

रिट याचिका संख्या-24026/2015 कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट संस्कृत पाठशाला गोसाईपुर, बलिया बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28.04.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गए हैं –

''.....Accordingly and in view of the above stand taken by the parties, this writ petition shall stand disposed of with a direction requiring the respondent No. 1 to consider and dispose of the application of the petitioner dated 22nd April, 2015 expeditiously and preferably within a period of two months from the date of production of a certified copy of the order of this Court..''

संस्कृत पाठशाला गोसाईपुर, बलिया को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.03.1991 द्वारा पूर्वमध्यमा तक नवीन सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गई थी। कार्यपरिषद् में उक्त विद्यालय के सम्मुख नवीन अंकित था जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा जी॰1157/2015 दिनांक 12.03.2015 निर्गत किया गया जिसके क्रम सं॰10 पर उक्त विद्यालय के सम्मुख अस्थायी अंकित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2015 के अनुपालन में प्रकरण के परिशीलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में प्रस्तुत नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा एवं प्रश्नगत विद्यालय का प्रकरण एक समान है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2015 में नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय, कण्डरूपूरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा को 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व की स्थायी मान्यता स्वीकार की गयी है। अतः समानता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय संस्कृत पाठशाला गोसाईपुर, बलिया को भी 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व अर्थात् 31 अक्टूबर, 2000 से स्थायी मान्यता स्वीकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -11-रिट याचिका संख्या - 27900/2015 प्रबन्धक, माँ शीतला कुमार संस्कृत महाविद्यालय बनाम उ॰प्र॰ शासन तथा अन्य 04 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या - 27900/2015 प्रबन्धक, माँ शीतला कुमार संस्कृत महाविद्यालय बनाम उ॰प्र॰ शासन तथा अन्य 04 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

निर्णय

रिट याचिका संख्या-27900/2015 प्रबन्धक, माँ शीतला कुमार सं॰म॰वि॰ बनाम उ॰प्र॰ शासन तथा अन्य 04 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किये है :-

"……..... Accordingly and in light of the stand struck by parties, this Court is of the opinion that no useful purpose would be served in keeping this writ petition pending on the board of this Court at this stage. It shall accordingly stand disposed of with a direction requiring the respondent No. 4 to consider and pass appropriate orders on the application/representation of the petitioner dated 23rd February, 2015 in accordance with law expeditiously. The respondent No. 4 shall in any view of the matter pass appropriate orders after affording opportunity of hearing to the petitioner and complete the above process within a period of six weeks from the date of production of a certified copy of the order of this Court before him."

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रबन्धक को पत्र संख्या-जी॰2068/2015 दिनांक 19.06.2015 द्वारा दिनांक 07 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। वह उपर्युक्त तिथि पर सुनवाई हेतु उपस्थित हुए और दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा पुनः उन्हें दिनांक 26.07.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया। उक्त तिथि पर कुलसचिव के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण दिनांक 02.08.2015 को कुलसचिव कार्यालय में सुनवाई की गयी। याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है :-

1. मान्यता आवेदन फार्म लेने के लिए विश्वविद्यालय को फीस जमा कर रसीद लिया जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
2. मान्यता आवेदनपत्र पूरित कर दिनांक 22.12.1999 को जमा किया जिसकी जिल्द संख्या जी॰ 1415/99 दिनांक 22.12.1999 वित्त अधिकारी के नाम से ‘ 25/- का पोस्टल आर्डर के काउटर की छायाप्रति संलग्न है।
3. सम्बद्धता शुल्क ‘ 180/- रसीद संख्या 400/92 दिनांक 25.11.1999 की छायाप्रति संलग्न है।
4. दूरी प्रमाणपत्र, तहसीलदार द्वारा निर्गत है, उसकी छायाप्रति संलग्न है।
5. रूपये 5000/- का प्राभूत कोष का एन॰एस॰सी॰ जो जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम से बंधक है।
6. विद्यालय के भूमि की खतौनी जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
7. जिलाधिकारी, वाराणसी की निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न है।
8. निरीक्षण में तीन लोग गये थे उनका नाम याद नही है।
9. निरीक्षण पैनेल के गठन का पत्र प्राप्त था किन्तु मिल नही रहा है।
10. सत्र 2000-2001 में मान्यता प्राप्त हुई सत्र 2001 में छात्रों का परीक्षावेदनपत्र भरा गया और 2002 में बोर्ड द्वारा परीक्षा ली गयी और तब से लगातार परीक्षा दिलाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यदि कोई और प्रपत्र की आवश्यकता आपको जरूरत होगी तो मैं उसे उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की कृपा करें।

विद्यालय का चिट फण्ड सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.04.1991 में हुआ है।

उप निरीक्षक, वाराणसी मण्डल, संस्कृत पाठशाला को दिनांक 17.01.2000 की मान्यता हेतु निरीक्षण आख्या प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय के नाम से जो कोड आवंटित हुआ था उसकी छायाप्रति संलग्न है।

मा॰ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 23 फरवरी, 2015 को नियमानुसार निस्तारित किया जाना है। प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि :-

1. महाविद्यालय की मान्यता प्रमाण-पत्र सन् 2000 में मिला जिस पर लिखा है कि माँ शीतला कुमार सं.म.वि. को मान्यता स्थायी है। प्रथमा से उत्तरमध्यमा तक स्थायी है। उस पर कार्यपरिषद् की संस्तुति है। कुछ अपवाद सुनने पर सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को लिखकर मान्यता की पुनः प्रमाणपत्र मांगी। प्रबन्धक के पत्र दिनांक 02.08.2010 का उल्लेख करते हुए सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) उक्त मान्यता प्रथमा से उत्तरमध्यमा पर्यन्त है। सन् 2001 से प्राप्त है।
2. इसके बाद सन् 2002 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् बोर्ड बना। उस समय भी संस्कृत शिक्षा बोर्ड को विश्वविद्यालय द्वारा जो मान्यता सूची भेजी गयी थी उसमें भी उक्त विद्यालय का नाम 171 पर अंकित था जिस पर स्पष्ट लिखा था कि उक्त विद्यालय 11.2.2001 ई॰ 10.2.2000 ई॰ में प्रथमा से उत्तरमध्यमा तक है। लेकिन वर्तमान समय में जो सूची मान्यता की प्रमाणित करके दिनांक 18.2.2015 को शिक्षा निर्देशक माध्यमिक को भेजी गयी उसमें विद्यालय के नाम के आगे लिखा है कि ‘‘मान्यता प्रमाणित नहीं है।’’ उस पत्र के सन्दर्भ में प्रबन्धक ने त्रुटि को संशोधित के लिए लिखा है।

सुनवाई के समय जो प्रपत्र प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका मिलान विश्वविद्यालय के अभिलेखों से किया गया। सम्बद्धता, मान्यता प्रमाण-पत्र जिस पर स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता में स्थायी के ऊपर (✓) सही का निशान लगा है, वह सही नहीं पाया गया क्योंकि प्रमाण-पत्र के काउन्टर फाइल में 2000-2001 की मान्यता/सम्बद्धता का उल्लेख किया गया है और स्थायी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार उपकुलसचिव (सम्बद्धता) द्वारा निर्गत पत्र संख्या-जी॰ 1746 दिनांक 30.04.2000 विश्वविद्यालय से निर्गत हुआ प्रतीत होता है जिसके सन्दर्भ में प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है सम्बद्धता का उक्त पत्र उन्हें काफी विलम्ब से प्राप्त हुआ था। इस कारण वह 2000-01 की परीक्षा में

अपने विद्यार्थियों को प्रविष्ट नहीं करा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2000 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत बोर्ड का गठन हो चुका था। उसके पश्चात् 2001 से मध्यमा स्तर तक परीक्षा संस्कृत बोर्ड से करायी जा रही है। सहायक कुलसचिव के पत्र दिनांक 30.04.2000 से स्पष्ट होता है कि केवल एक सत्र अर्थात् 2000-2001 के लिए मान्यता (अस्थायी) ही प्राप्त हुई थी। कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में भी विद्यालय को स्थाई सम्बद्धता दिये जाने का प्रमाण नहीं पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये गये प्रमाण-पत्र तथा सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) के पत्र से प्रतीत होता है कि विद्यालय को उत्तरमध्यमा की सम्बद्धता 2000-2001 में प्राप्त हुयी थी, जो स्थायी नहीं मानी जा सकती और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मान्यता प्रमाणित नहीं है और चूँकि वर्ष 2000 में बोर्ड का गठन हो गया था तथा इसके बाद परीक्षाओं की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं थी ऐसी स्थिति में वर्ष 2000-01 में विद्यालय की मान्यता अस्थायी मानी जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.05.2015 के अनुपालन में प्रबन्धक/ याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक 23 फरवरी, 2015 को निस्तारित किया जाता है।

परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -12-श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ, मठहीखुर्द, कुशीनगर को दिनांक 27.01.1992 से उत्तरमध्यमा की स्थायी मान्यता स्वीकृति की सूचना।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया किश्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ, मठहीखुर्द, कुशीनगर को दिनांक 27.01.1992 से उत्तरमध्यमा की स्थायी मान्यता स्वीकृत की गयी है।

कार्यक्रम संख्या -13-लक्ष्मी नारायण संस्कृत विद्यालय, पूरे खुन्शीवाली, बाबूगंज, प्रतापगढ़ का शुद्ध पता अंकित करने के सम्बन्ध में सूचना।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि लक्ष्मीनारायण संस्कृत विद्यालय, खुन्शीवाली, बाबूगंज, प्रतापगढ़ के नाम में कार्यपरिषद् की कार्यवाही दिनांक 30.10.1996 में विद्यालय के नाम में जिला प्रतापगढ़ के स्थान पर जिला इलाहाबाद अंकित हो गया था जिसको संशोधित करते हुए प्रतापगढ़ कर दिया गया है।

कार्यक्रम संख्या -14-रिट याचिका संख्या-34836/2015, कमेटी ऑफ मैनेजमैण्ट आदर्श संस्कृत विद्यालय, बारीकपुर, जौनपुर बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.06.2015 के पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या-34836/2015, कमेटी ऑफ मैनेजमैण्ट आदर्श संस्कृत विद्यालय, बारीकपुर, जौनपुर बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.06.2015 के पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित अधोलिखित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

<u>निर्णय</u>

रिट याचिका संख्या-34836/2015 कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट आदर्श संस्कृत विद्यालय, वारीकपुर, जौनपुर बनाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में माननीय उच्च, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.06.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गए हैं –

‘‘.....Accordingly and with the consent of the parties, this writ petition shall stand disposed of with a direction requiring the respondent no.2 to consider and pass appropriate orders on the representation of the petitioner dated 30.05.2015 in accordance with law. The above exercise be completed within a period of one month from the date of production of a

certified copy of the order of this Court. It shall be open to the petitioners to supplement the representation already made and if such supplementary representation is filed within a period of ten days from today, the same shall also be taken into consideration by the said respondent. ''

आदर्श संस्कृत विद्यालय, वारीकपुर, जौनपुर को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.03.1991 द्वारा उत्तरमध्यमा तक नवीन सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गई थी। कार्यपरिषद् में उक्त विद्यालय के सम्मुख नवीन अंकित था जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या-जी॰1145/2015 दिनांक 16.02.2015 निर्गत किया गया जिसके क्रम सं॰05 पर उक्त विद्यालय के सम्मुख अस्थायी अंकित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.06.2015 के अनुपालन में प्रकरण के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि संदर्भित महाविद्यालय को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.03.1991 में उत्तरमध्यमा नवीन सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी थी जो अस्थायी मान्यता थी। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रथम बार अस्थायी मान्यता देने के उपरान्त स्थायी मान्यता की औपचारिकता पूर्ण होने पर और निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर 3 वर्ष या उसके बाद सम्बद्धता समिति की संस्तुति पर कार्यपरिषद् द्वारा स्थाई मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है। इस महाविद्यालय के विषय में स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय के प्रबन्धक/अध्यक्ष को दिनांक 23.07.2015 को पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया गया। दोनों ही सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर उपस्थित हुए। उन्होंने सुनवाई के समय ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि पूर्व में उनके द्वारा स्थाई मान्यता के लिए कोई प्रयास किया गया था।

विश्वविद्यालय की परिनियमावली में धारा 12.31 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी यदि वह लगातार 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे। विश्वविद्यालय के अभिलेख देखने एवं याची से पृच्छा करने पर यह स्थिति सामने आयी कि उक्त विद्यालय में वर्ष 1997,1998, 1999 से 2000 में न तो किसी विद्यार्थी के प्रवेश हुए थे और न ही विद्यालय के किसी परीक्षार्थी की परीक्षा कराई गयी थी। स्वयं प्रबन्धक एवं अध्यक्ष भी इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में याचिका में संदर्भित दिनांक 30.05.2015 के प्रत्यावेदन में की गयी प्रार्थना कि विद्यालय की मान्यता का स्थायीकरण किया जाय, मान्य नहीं है।

एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 30.05.2015 विधि सम्मत नहीं होने के कारण नियमों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है और निरस्त किया जाता है।

परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -15-याचिका सं॰ 15277/2015, शिवशंकर संस्कृत विद्यालय, नगर पंचायत घोसिया, औराई, भदोही, संत रविदास नगर बनाम स्टेट ऑफ यू॰पी॰ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में विचार।

कार्यपरिषद् को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं॰ 15277/2015, शिवशंकर संस्कृत विद्यालय, नगर पंचायत घोसिया, औराई, भदोही, संत रविदास नागर बनाम स्टेट ऑफ यू॰पी॰ एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2015 के अनुपालन में प्रकरण को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि-

माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 04/08/2015 निम्नवत है –

"In view of the aforesaid facts and circumstances, the writ petition is disposed of with the direction to the Registrar of the University to take appropriate steps for holding the meeting of the Executive Council within a period of two months from the date of production of a certified copy of this order and to ensure that the above report dated 18.2.2015 regarding grant of permanent affiliation to the petitioner-institution is also placed for consideration before the Executive Council in the said meeting"

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूच्य है कि श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0वि0 नगर पंचायत घोसिया, औराई भदोही को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11/02/2001 में उत्तर मध्यमा की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10/01/2015 के कार्यक्रम संख्या 8 पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 107 विद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रदत्त अस्थायी मान्यता/सम्बद्धता को स्थायी करने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 13/10/2009 में लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार किया गया। कार्यपरिषद् के निर्णय की छायावृत्त संलग्न है। उक्त के अनुसार 107 विद्यालयों में 88 विद्यालयों/महाविद्यालयों उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम 2000 के गठन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 01 नवम्बर 2000 से पूर्व की दिनांक 31 अक्टूबर 2000 से स्थायी मान्यता की तिथि निर्धारित करते हुए स्थायी मान्यता मानते हुए कार्यपरिषद् की बैठक 13/10/2009 में लिए गए निर्णय का स्पष्टीकरण किया जाय। शेष 19 विद्यालयों के तिथि के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया गया। उक्त के क्रम संख्या 17 पर श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0वि0 नगर पंचायत घोसिया, औराई भदोही का प्रकरण है।

प्रधानाचार्य श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0वि0 नगर पंचायत घोसिया, औराई, भदोही सन्त रविदास नगर के पत्र दिनांक 4/02/2015 के द्वारा की गई प्रार्थना पर कुलपति जी द्वारा दो सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई। जाँच समिति के सदस्य प्रो0 जय प्रकाश नारायण त्रिपाठी एवं प्रों0 शीतला प्रसाद उपाध्याय द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 18/02/2015 को कुलपति जी को सौंपी गई।

जाँच समिति की अख्या निम्नवत हैं –

श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0वि0, नगर पंचायत घोसिया, औराई, भदोही को प्रदत्त उत्तर मध्यमा अस्थायी मान्यता के स्थायीकरण के संदर्भ में आख्या–

उपर्युक्त विषयक प्रकरण का परीक्षण करने हेतु कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 16.02.2015 द्वारा निम्नलिखित दो सदस्यीय समिति का गठन किया –

1. प्रो0 जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी
2. प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय

समिति के समक्ष प्रश्नगत विद्यालय की पत्रावली प्रस्तुत की गई। मान्यता अस्थायी/स्थायी मान्यता से सम्बन्धित टिप्पणियों का अवलोकन किया गया, इसके अतिरिक्त मान्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रों, प्रमाणपत्र एवं कार्यपरिषद् के कार्यवृत्तों का भी अवलोकन किया गया। वास्तविकता यह है कि उक्त विद्यालय को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2001 में उत्तर मध्यमा पर्यन्त अस्थायी मान्यता प्रदान करने का निर्णय हुआ। किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 11.02.2001 से पूर्व ही एक प्रमाणपत्र निर्गत कर उक्त विद्यालय को उत्तर मध्यमा परीक्षा की अस्थायी मान्यता वर्ष 1999–2000 की परीक्षा के लिए निर्गत किया गया।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2009 में लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन होने के पूर्व के दिनांक तक जिन विद्यालयों को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी, उनमें से 107 विद्यालय/महाविद्यालयों की स्थायी मान्यता स्वीकार की गयी। श्री शिवशंकर उ0मा0 विद्यालय, घोसिया, सन्तरविदास नगर का नाम भी सूची में कमांक 101 पर अंकित है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सं0 4636(M/S)2009 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2010 के अनुपालन में श्री नागेश्वर बाबा संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय धौरहरा कस्बा लखीमपुर खीरी को दी गयी, अस्थायी मान्यता का स्थायीकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2012 द्वारा किया गया। इसी प्रकार कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2015 द्वारा नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय कण्डरूपुरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा (उ0प्र0) को वर्ष 2000 से पूर्व दी गयी अस्थायी मान्यता का स्थायीकरण प्रदान किया गया। 10/1/15

समय–समय पर कार्यपरिषद् द्वारा दिये गये निर्णयों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को समिति ने संज्ञान में लिया एवं कार्यालयीय व

विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों की टिप्पणियों को भी संज्ञान में लिया गया, तथापि श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0 विद्यालय नगर पंचायत घोसिया, औराई, संतरविदास नगर को उत्तर मध्यमा पर्यन्त अस्थायी मान्यता कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2001 को पुष्ट की गयी, तथापि वर्ष के इस विद्यालय को वर्ष 1999–2000 से मान्यता प्रदान करने का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया गया है। इस दशा में प्रश्नगत प्रकरण में भी मान्यता की तिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अधिनियम के अधिसूचना की तिथि 01 नवम्बर, 2000 के पूर्व मान्य करना समीचीन होगा। इस विषय में नेताजी सुभाष संस्कृत विद्यालय कण्डरूपुरे हाकिमपुर सिंह गोण्डा को दृष्टान्त मानकर निर्णय किया जाना तर्कसंगत होगा। अतः समिति का निष्कर्ष यह है कि श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0 विद्यालय नगर पंचायत घोसिया, औराई, भदोही को प्रदत्त उत्तर मध्यमा अस्थायी मान्यता के स्थायीकरण की तिथि दिनांक 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व का होना समीचीन होगा। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं कार्यपरिषद् के निर्णयों को आधार एवं दृष्टान्त मानकर विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना सुसंगत होगा।

(प्रो0 जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी)
सदस्य–जाँच समिति

(प्रो0 शीतला प्रसाद उपाध्याय)
सदस्य–जाँच समिति

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 01 नवम्बर 2000 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का अध्यादेश जारी किया गया था। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा बोर्ड के गठन के पूर्व से ही पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, की मान्यता, मान्यता आवेदन पत्र के सापेक्ष कृत कार्यवाही के उपरान्त प्रदान की जाती थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के गठन के उपरान्त पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा उक्त बोर्ड से संचालित होने लगा। कतिपय माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने अपनी मध्यमा तक मान्यता के लिए पूर्व से ही प्रक्रिया आरम्भ कर रखी थी उनको कार्य परिषद् की बैठक 11/02/2001 के द्वारा पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा की मान्यता प्रदान की गयी थी। विशेष उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा की वार्षिक परीक्षा सम्पूर्णान्न्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा ही करायी गयी थी।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20/08/1995 के कार्यक्रम संख्या 10 (मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16/08/1995) के प्रस्तर संख्या 5 के अनुसार उपस्थापित नवीन आवेदन प्रकरण में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17/08/1994 में निर्णीत सिद्धान्त के अन्तर्गत आवेदन विद्यालय/महाविद्यालय अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता की सर्शत अनुमति सर्वप्रथम आगामी 1996 वर्षीय परीक्षा हेतु निर्गत करने का प्रस्ताव किया गया किन्तु उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित दो संस्थाओं को अनुमति अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता के सम्बन्ध में संस्थाओं को यह सूचित करने का प्रस्ताव हुआ कि सम्बद्धता का स्थायीकरण कम से कम तीन परीक्षा अवधि पूर्ण होने के पूर्व सम्भव नहीं होगा।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि राज भवन लखनऊ द्वारा जारी पत्र संख्या /पीजीएस/02 दिनांक 28 दिसम्बर 2002 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/11/2002 के अनुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने का निषेध किया गया है परन्तु विचारणीय है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय भूतलक्षी (बैक डेट) प्रभाव लागू नही किया जा सकता। क्योकि मा. उच्च न्यायलय का आदेश भविष्य की मान्यता के लिए किया गया हैं।

श्री शिवशंकर संस्कृत उ0मा0वि0 नगर पंचायत घोसिया, औराई भदोही के मान्यता तिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04/08/2015 के अनुपालन में जाँच अख्या दिनांक 18/02/2015 पर विचार करते हुए नियम संगत निर्णय लिया जाना हैं। कुलपति जी के आदेश दिनांक 17/08/2015 के अनुपालन में प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण से सम्बन्धित सभी पक्षों पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्रकरण पर विधिक राय लेकर निर्णय लिया जाय। विधिक राय प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता को समस्त तथ्यों से अवश्य अवगत कराया जाय और विधिक राय प्राप्त होने के पश्चात् निर्णय लिया जाय और यदि आवश्यकता हो तो कार्यपरिषद् की आपात बैठक भी बुलायी जाय।

कार्यक्रम संख्या -16-महर्षि शाडिल्य सं.उ.मा.विद्यालय, डुमरी खखनिया, देवरिया के मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में।

परिषद को अवगत कराया गया कि महर्षि शाडिल्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमरी खखनिया देवरिया को मान्यता समिति की बैठक 10-02-2001 द्वारा उत्तरमध्यमा की अस्थायी मान्यता की संस्तुति प्रदान की गयी थी। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11-02-2001 द्वारा उक्त संस्तुति पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।

उक्त के सम्बन्ध मे सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया गया था। सं0स0वि.0वि0 वाराणसी द्वारा पूर्व से ही पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा, शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री की मान्यता विद्यालयों के मान्यता आवेदन पत्र के सापेक्ष परिनियमानुसार कृत कार्यवाही के उपरान्त प्रदान की जाती थी । उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के गठन के उपरान्त पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा उक्त बोर्ड से संचालित होने लगे।

कतिपय माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने अपनी मध्यमा तक के मान्यता के लिए पूर्व से ही प्रक्रिया आरम्भ कर रखी थी उनको कार्यपरिषद की बैठक 11-02-2001 द्वारा उत्तरमध्यमा/पूर्वमध्यमा मान्यता कर दी गयी थी विशेष उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 की पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा की वार्षिक परीक्षा सं0स0वि0वि0 द्वारा करायी गयी थी। महर्षि शाडिल्य उ0माध्यमिक विद्यालय डुमरी खरखरिया देवरिया अपनी मान्यता तिथि के स्थायीकरण के निर्धारण हेतु प्रार्थना किया है। प्रकरण कुलपति जी के आदेश दिनांक 02-06-2015 के अनुपालन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव ने अवगत कराया कि प्रश्नगत विद्यालय को पूर्व कुलसचिव के पत्र दिनांक 17.03.2007 के द्वारा वर्ष 2000 से उत्तर- मध्यमा पर्यन्त सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त है और इस विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र के काउन्टर फाईल क्रमांक-446 के द्वारा वर्ष 2000-01 की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के जिक्र है। विश्वविद्यालय के तत्कालिन कुलसचिव के पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनो में स्थायी मान्यता का उल्लेख नही है जबकि विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य ने दिनांक रहित प्रत्यावेदन जो विश्वविद्यालय में दिनांक 13.04.2015 को प्राप्त कराया है इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक 446 में कूट-रचना किया है और स्थायी के ऊपर सही (✓) का निशान लगा दिया है और अस्थायी के ऊपर क्रास (X) का निशान लगा दिया है जो दण्डनीय है।

विचार-विमर्श के अनन्तर उक्त स्थिति का संज्ञान लेकर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से महर्षि शाडिल्य सं.उ.मा.विद्यालय, डुमरी खखनिया, देवरिया के मान्यता से सम्बन्धित प्रकरण की जाँच हेतु जाँच समिति गठित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कार्यक्रम संख्या -17- श्री संकीर्तन ब्रह्मचर्याश्रम सं॰म॰वि॰ झूसी, इलाहाबाद के मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि श्री संकीर्तन ब्रह्मचर्याश्रय सं॰म॰वि॰ झूसी, इलाहाबाद के मान्यता के सम्बन्ध में समस्त प्रकरण जाँच के पश्चात् परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। अतः प्रकरण पर विचार स्थगित रखी जाय।

विचार-विमर्श के क्रम में परिषद् के सदस्यों ने कहा कि उक्त महाविद्यालय बहुत प्राचीन है, इस महाविद्यालय में शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम का भी संचालन होता है। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय के मान्यता के सन्दर्भ में कोई प्रक्रिया पूर्ण नही है तो उसे पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित मान्यता को स्थायी कर दिया जाय।

कार्यक्रम संख्या -18- शासनादेश संख्या- 8/4/1/2002 टी॰सी॰-1-का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 जो पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू॰पी॰पावर कारपोरेशन लि॰ बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा॰ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन की जाने की सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या- 8/4/1/2002 टी॰सी॰-1-का-2/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय आदेश सं॰सा॰847/2015, दिनांक 09.09.2015 के द्वारा निम्नलिखित 12 कार्मिकों का पदावनति कर दिया गया है।

क्र.सं.	**नाम**	**पद**	**पदावनति के पश्चात् पद**
1-	श्री अशोक कुमार	- अधीक्षक	कनिष्ठ सहायक
2-	श्री जगदीश प्रसाद	- अधीक्षक	नैत्यिक लिपिक
3-	श्री संतोष कुमार सिंह	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
4-	श्री मनोज कुमार	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
5-	श्री विष्णुराम	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
6-	श्रीमती अंजली	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
7-	श्री देवी दयाल	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
8-	श्री रणजीत कुमार भारती	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक

9-	श्री गुलाब चन्द्र	- वरिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
10-	श्री विरेन्द्र राम	- कनिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
11-	श्री मनबोध राम	- कनिष्ठ सहायक	नैत्यिक लिपिक
12-	श्री रामकुमार	- कार्यालय पंडित	नैत्यिक लिपिक

परिषद् उक्त सूचना से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत जिन कर्मचारियों का पदावनति अभी शेष है, उनका भी पदावनति शीघ्र की जाय।

कार्यक्रम संख्या -19-श्री बिट्ठल दास, सेवानिवृत्त, आशुलिपिक के प्रोन्नति पर प्राप्त आडिट आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि- श्री इन्द्रमणि द्विवेदी, सेवानिवृत्त, पुस्तकालय सहायक एवं श्री बिट्ठलदास, सेवानिवृत्त, आशुलिपित के सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त आडिट आपत्ति के निराकरण करते हुए पेंशन सम्बन्धी भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चिच करने के लिए दिनांक 20.03.2015 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में समिति ने निर्देश दिया कि श्री इन्द्रमणि द्विवेदी एवं श्री बिट्ठल दास के सेवा के सम्बन्ध में जो आडिट आपत्ति प्राप्त हुई है, उस सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी के साथ पत्रावली कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

समिति के उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत है।

1- सम्परीक्षा आख्या 2009-10 के आपत्ति संख्या भाग क ग (1) के अंतर्गत श्री बिट्ठल दास, आशुलिपिक को अनियमित तरीके से आशुलिपिक पद पर नियुक्त करने से रू॰ 2,99,203.00 एवं अन्य भत्तो का अधिक भुगतान प्राप्त अधोलिखित आपत्ति कि-

प्रश्नगत कर्मचारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली की सम्परीक्षा से ज्ञात हुआ कि इनकी नियुक्ति नैत्यिक लिपिक पद के वेतनमान में रू॰ 354-550 में दिनांक 10.01.1983 को हुई थी। तदुपरान्त आदेश सं॰सा॰ 1224/प्रोन्नति/1993, दिनांक 29.08.1993 द्वारा पूर्वगामी तिथि 01.05.1993 से रू॰ 1200-2010 के (कनिष्ट सहायक) वेतनमान में पदोन्नति की गई थी। इसके पश्चात् आदेश सं॰सा॰ 3003/476/61-97, दिनांक 26.02.1997 द्वारा इन्हे आशुलिपिक पद के वेतनमान रू॰ 1350-2200 में तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति की गई थी, जो कि प्रदेश शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियों या पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश सं॰ 13/43/90 का -1-90, दिनांक 29.10.1990 तथा सं॰ 15/18/86-का-1-97, दिनांक 06.11.1997 का स्पष्ट उल्लंघन था।

पत्रावली में श्री दास के उपलब्ध आवेदन पर 14.05.1996 जो तत्कालीन कुलपति को सम्बोधित था का संज्ञान लेने पर प्रमाणित हो रहा था कि उन्होंने स्वयं को आशुलेखन की जानकारी नही होने के बावजूद आशुलिपिक पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया था। उन्होनें यह भी उल्लेख किया था कि तत्समय ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति आशुलिपिक पद पर की गई थी- जिन्हें शुद्ध रूप से टंकण कार्य का ज्ञान ही नही था। श्री दास के इस प्रार्थना पत्र को तत्कालीन वित्त अधिकारी ने अपनी इस टिप्पणी के साथ अग्रसारित किया कि आशुलिपिक और लिपिकीय दोनो अलग-अलग संवर्ग है और आशुलिपिक पद के लिये अभ्यथी को टंकण कार्य के साथ साथ आशुलेखन का ज्ञान होना आवश्यक है। आशुलिपिक का दायित्व लिपिक पद से भिन्न प्रकृति का होता है। ऐसी स्थिति में आशुलिपिक पद को मात्र प्रोन्नति के आधार पर भरा जाना नियमित नही है।

वित्त अधिकारी की उक्त अग्रसारण टिप्पणी से स्पष्ट है कि श्री दास को आशुलिपिक पद पर प्रोन्नति हेतु सहमत नही थे परन्तु 10 माह बाद पूर्व सन्दर्भित आदेश दिनांक 26.02.1997 द्वारा उल्लिखित शासनादेशों के विपरीत तदर्थ प्रोन्नति करके वेतन भुगतान की कार्यवाही करना- विवेचना का विषय था। श्री दास के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.1996 के सन्दर्भ में यह भी विवेचना योग्य प्रकरण है कि और कितने कर्मचारियों को टंकण/आशुलेखन की अर्हता अर्जित नही होने के बावजूद आशुलिपिक पद पर अनियमित नियुक्ति कर वेतन

भुगतान किया गया था। इस प्रकार अनियमित भुगतान से विश्वविद्यालय एवं शासकीय निधि की क्षति होना स्वाभाविक है।

श्री दास को उनके प्रोन्नत आदेश तिथि 29.08.1993 से कनिष्ठ सहायक पद पर प्रत्यावर्तित मानते हुए उस पद का कार्य लिया जाय। श्री दास के पास आशुलेखन कार्य की अर्हता ही नही थी तो स्पष्ट है कि आशुलिपिक के मूल कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन भी नही किया होगा। इस प्रकार अनियमित तदर्थ प्रोन्नति के फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ठ 'ढ' में दिये गये विवरणानुसार 01.05.1994 से 30.06.2012 तक मूलवेतन एवं डी.ए.मद में रू. 2,99,203.00 का अनियमित भुगतान किया गया था। अन्य भत्तों की गणना कर उपर्युक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए क्रमोत्तर हो रहे अनियमित भुगतान को तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाय। उपर्युक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा आडिट आपत्ति के निस्तारण हेतु अधोलिखित अनुपालन प्रस्तुत किया गया था कि-

श्री दास ने दिनांक 14.05.1996 को जो पत्र माननीय कुलपति महोदय के नाम द्वारा वित्त अधिकारी प्रस्तुत किये है(जिस पर सम्परीक्षा आपत्ति है) में कही भी यह उल्लेख नही किया है कि उन्हें आशुलिपिक एवं टंकण का ज्ञान नही है बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में 10 वर्षो से वित्त अधिकारी के आशुलिपिक के पद पर कार्यरत होते हुये भी कनिष्ठ सहायक का वेतन प्राप्त हो रहा है एवं रिक्त पद होने पर आशुलिपिक पद पर प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री बिट्ठल दास ने अपने प्रत्यावेदन पर ''उल्लेख किया है कि'' ऐसे कर्मचारी की पदोन्नति आशुलिपिक के पद पर की गई है जो शुद्ध रूप से टंकण करना भी नही जानते है। के परिप्रेक्ष्य में वित्त अधिकारी द्वारा निम्नाकिंत टिप्पणी अंकित किया है -

''आशुलिपिक का संवर्ग लिपिकीय संवर्ग से पृथक है और आशुलिपिक से टंकण के साथ ही आशुलेखन की अपेक्षा की जाती है। आशुलिपिक का दायित्व भी सामान्य लिपिक के पद से भिन्न है ऐसी स्थिति में आशुलिपिक के पद को मात्र प्रोन्नति के आधार पर भरा जाना नियमित नही है ''अ'' पर सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ अग्रसारित''

वित्त अधिकारी के उक्त अग्रसारण के स्पष्ट है कि आशुलिपिक पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को टंकण के साथ आशुलेखन का भी ज्ञान होना चाहिए जो श्री दास के पास है वित्त अधिकारी के टीप में कही भी यह उल्लिखित नही किया है कि श्री बिट्ठल दास को आशुलिपिक का ज्ञान नही है एवं उनकी प्रोन्नति उक्त पद पर न की जायें।

श्री बिट्ठल दास के नैत्यिक लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के पृष्ट सं.-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ''उनके पास टंकण (हिन्दी, अंग्रेजी) तथा आशुलेखन का ज्ञान है तथा उसका प्रमाण-पत्र भी संलग्न है'' श्री दास द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.05.1996 के प्रतिवेदन में आशुलिपिक के ज्ञान न होने का कही भी उल्लेख नही किया गया है।

श्री बिट्ठल दास, वित्त अधिकारी से सम्बद्ध होकर आशुलिपिक का कार्य कई वर्षो से कर रहे है एवं आशुलिपिक पद की समस्त अर्हताए भी धारित करते है इनकी अर्हताओं को दृष्टि में रखते हुये उनकी नियुक्ति वि.वि. आदेश सं.सा.3003/476/61, दिानंक 26.02.1997 द्वारा आशुलिपिक पद पर प्रोन्नति से की गई थी।

यतः श्री दास आशुलिपिक पद पर नियुक्त होने के पश्चात् वह निर्बाध रूप से वित्त अधिकारी के आशुलिपिक पद का दायित्व पूर्णरूप से निर्वहन कर रहे है।

अतः श्री बिट्ठल दास को प्रदत्त आशुलिपिक पद का वेतनमान एवं वेतन प्रदान करना नियमानुकुल होने के कारण आडिट आपत्ति निस्तारण योग्य है।

विश्वविद्यालय द्वारा श्री बिट्ठलदास की अनियमित पदोन्नति सम्बन्धी आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु प्रेषित अनुपालन आख्या से संतुष्ट न होते हुए आपत्ति की है कि- अनुपालन आख्या में भी स्पष्ट उल्लेख है कि आडिट आपत्ति् की भावना केअनुरूप तात्कालीन वित्त अधिकारी श्री कृष्णकांत उपाध्याय ने श्री दास के संदर्भित आवेदन पत्र दिनांक 14.05.1996 के क्रम में आशुलिपिक पद को मात्र प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की प्रस्तावित कार्यवाही को अनियमित माना था। वित्त अधिकारी के उक्त महत्वपूर्ण टिप्पणी को नजर अंदाज करते हुए कोई चयन प्रक्रिया का पालन किये बगैर श्री दास की तदर्थ प्रोन्नति कर दी गई थी। यह तत्समय प्रवृत शासनादेशों का उल्लघंन था, जिसका यथास्थान आडिट आपत्ति में किया भी गया है।

संगर्भगत प्रकरण में पुनः स्पष्ट करना है कि कनिष्ठ सहायक से आशुलिपिक पद पर एक्स कैडर प्रोन्नति का कोई प्राविधान नही है। आशुलिपिक पद सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत भरा जाने वाला पद है। चूकि श्री दास के मामले में चयन प्रक्रिया का पालन नही हुआ और न तो नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात वि.वि. की कार्यपरिषद् ने इस प्रोन्नति का अनुमोदन भी किया। अतएव श्री दास की कनिष्ठ सहायक पद से आशुलिपिक पद पर तदर्थ रूप से किये गए एक्स कैडर प्रमोशन को विधिक दृष्टि से नियमित नही माना जा सकता । पेंशन नियमों के अंतर्गत तदर्थ सेवावधि सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा नही मानी जाती है। अतएव श्री दास के हित में उन्हें उनके मूल पद कनिष्ठ सहायक पद पर नियमित मानते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना उचित होगा। शासकीय नियमों की उपेक्षाकर वि.वि. में लागू किसी परम्परा के अधीन प्राप्त अनुचित वित्तीय लाभ को औचित्यपूर्ण नही माना जा सकता है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखयनीय है कि श्री बिट्ठलदास, वित्त अधिकारी से सम्बद्ध होकर आशुलिपिक का कार्य कई वर्षो से करते हुए सेवानिवृत्त हुए। वे आशुलिपिक पद की अर्हता धारित करते थे। इनकी अर्हताओं को दृष्टि में रखते हुए ही इनकी प्रोन्नति विश्वविद्यालय आदेश सं.सा. 3003/476/61, दिनांक 26.02.1997 द्वारा आशुलिपिक पद पर प्रोन्नति की गयी। वे इसी पद पर कार्य करते हुए अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षिता वय दिनांक 10.11.2013 (30.11.2013मासांत) को पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये।

श्री दास की आशुलिपिक पद पर पदोन्नति पर आडिट आपत्ति होने के कारण पेंशन भुगतान की कार्यवाही नही हो पा रही है। आडिट आपत्ति के क्रम में एक आपत्ति यह भी है कि आशुलिपिक पद सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रक्रिया के उपरान्त भरा जाने वाला पद है। चूँकि श्री दास के मामले में चयन प्रक्रिया का पालन नही हुआ और न तो नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने इस प्रोन्नति का अनुमोदन भी कराया गया। अतएव श्री दास की कनिष्ठ सहायक पद से आशुलिपिक पद पर तदर्थ रूप से किये गये एक्स कैडर प्रमोशन को विधिक दृष्टि से नियमित नही माना जाना चाहिए।

अतः उक्त सम्पूर्ण वस्तुस्थिति कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

परिषद् उपर्युक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों विशेषकर आँडिट द्वारा की गयी आपत्ति कि श्री बिट्ठलदस की आशुलिपिक पद पर की गयी प्रोन्नति का अनुमोदन कार्यपरिषद् द्वारा नही की गयी है, को संज्ञान में लेते हुए कहा कि श्री बिट्ठलदास की आशुलिपिक पद प्रोन्नति 1997 में की गयी और वे इसी पद पर कार्य करते हुए दिनांक 30.11.2013 को सेवानिवृत्त भी हो गये। प्रोन्नति पर आडिट आपत्ति भी वर्षो बाद 2009-10 में की गयी है। जो उचित नही है।

तत् पश्चात् कार्यपरिषद् सर्वसम्मत्ति से श्री बिट्ठलदास की आशुलिपिक पद की गयी प्रोन्नत्ति पर स्वीकृति / अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि श्री दास का आशुलिपिक पद के सापेक्ष पेंशन निर्धारित करते हुए पेंशन भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

कार्यक्रम संख्या -20-श्री इन्द्रमणि द्विवेदी, सेवानिवृत्त पुस्तकालय सहायक के नियुक्ति पर प्राप्त आडिट आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में विचार।

कुलपति महोदय के निर्देश से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार स्थगित किया गया।

कार्यक्रम संख्या -21- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अन्य परीक्षा की भाँति एक सुवर्ण पदक प्रदान करने हेतु श्री माता वैण्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अन्य परीक्षा की भाँति एक सुवर्ण पदक प्रदान करने हेतु श्री माता वैण्णो देवी श्राइन बोड, कटरा जम्मू-कश्मीर के चीफ एक्सक्यूटिव आफिसर श्री अजीत कुमार साहू (आई॰ए॰एस॰) का अधोलिखित पत्र प्राप्त हुआ है-

Ajeet Kumar Sahu IAS

Chief Executive Officer
SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD
Katra J&K
Phone: 01991-232075, 232124 (O)
232120 (F)
email:
website:

DO. No. SMVDSB/CEO/232
Dated 07.07.2015

Dear Sir,

Shri Mata Vaishno Devi Gurukul which is being run by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board is affiliated to the Sampurnanad Sanskrit Vishwavidyala, Varanasi. Till date 03 students of Gurukul (01 in 2013 & 02 in 2014) have been awarded the prestigious "Vakratund Shukal Swarn Padak" by the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya on becoming University topper in Prathama (8th Class)

During the 15th Meeting of Governing Council of Shri Mata Vaishno Devi Gurukul, held on 25th April, 2015 under the Chairmanship of Dr. S.S. Bloeria, Chairman, Governing Council, SMVD Gurukul and Hon'ble Member, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Prof Yugal Kishore Mishra, Hon'ble Member of the Governing Council informed that while the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya (to which the Gurukul is affiliated) has institutionalized the "Vakratund Shukal Swarn Padak" for University topper in Prathma (8th Class), there is no provision for any such award/medal in the University for the University topper of Purva Madhyama (10th Class) and Uttar Madhyama (12th Class). He had suggested that Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board may consider institutionalizing two such awards for Purva Madhyama (10th Class) and Uttar Madhyama (12th Class) with the name of "Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board" for the encouragement of any student from any institution under the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya who becomes the University topper in these two Classes. He later enquired and conveyed that a onetime contrinution to the tune of Rs. 1.50 Lakh for each award (i.e. total of Rs. 3.00 Lakh for two awards) has to be made to the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya for institutionalization of such awards in the name of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board

The matter was discussed threadbare and the Governing Council has given a go-ahead to the above proposal.

Before the matter is placed before the Hon'ble Governor, J&K State (Chairman, SMVDSB) for his consideration and approval, I on behalf of the Governing Council for SMVD Gurukul and for Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, request you to kindly convey your consent in the matter and the modalities for the institutionalization of awards for Purva Madhyama and Uttar Madhyama with the name of **"Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board"**.

Your guidance/advice in this regards will be highly appreciated.

With regards

Yours Sincerely

(Ajeet Kumar Sahu)

Prof. Yadunath Prasad Dubey,
Vice Chancellor,
Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya,
Varanasi
Uttar Pradesh (India)

श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड के उपर्युक्त प्रस्ताव पर परिषद् प्रशन्नता व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि श्राईन बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सुवर्ण पदक प्रदान करने हेतु

अध्यादेश निर्मित करते हुए इस वर्ष (सत्र 2014-15) दीक्षान्त समारोह से ही उक्त सुवर्ण पदक प्रदान किया जाय।

कार्यक्रम संख्या -22- सत्र 015-16 के शैक्षिक कैलेण्डर एवं अवकाश सूची का अनुमोदन।

परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में जुलाई 2015 से जून 2016 तक के अवकाश सूची में पर्वीय अवकाश एवं शैक्षिक कैलेण्डर की समीक्षा करने हेतु गठित समिति की अधोलिखित संस्तुति अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी-

विश्वविद्यालय में जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक के अवकाश सूची में पर्वीय अवकाश एवं शैक्षिक कैलेण्डर की समीक्षा करने हेतु गठित समिति की बैठक आज दिनांक 29.06.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से कुलपति जी के कार्यालयीय कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में अधोलिखित उपस्थित हुए-

1. प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबें - कुलपति
2. प्रो॰ आशुतोष मिश्र - संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय
2. प्रो॰ शीतला प्रसा उपाध्याय - संकायाध्यक्ष, दर्शन संकाय
3. प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय - संकायाध्यक्ष, श्रमण विद्या संकाय
4. कुलसचिव

विचार विमर्श के अनन्तर समिति अधोलिखित संस्तुति करती है-

1- विश्वविद्यालय में सत्र 2015-2016 में अवकाश सत्र 2014-15 के अनुसार घोषित किया जा सकता है। सत्र 2015-2016 का अवकाश विवरण संलग्न है।

2- शैक्षणिक सत्र 2015-2016 का शैक्षणिक कैलेण्डर संलग्न विवरण के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

4- दिनांक 05.07.2015 (रविवार) के पश्चात विश्वविद्यालय में साप्ताहिक अवकाश परम्परानुसार प्रतिपदा एवं अष्टमी को घोषित किया जाय।

5- ग्रीष्मावकाश पूर्व सत्र के समान ही इस सत्र में भी दिनांक 16 मई, 2016 से 30 जून, 2016 तक घोषित किया जा सकता है।

शैक्षिक कैलेण्डर 2015-2016

क. प्रवेश		
1.	शास्त्री(स्नातक) एवं आचार्य(स्नातकोत्तर) कक्षाओं में नवीन प्रवेश	10 जुलाई से 04 अगस्त 2015 तक
2.	कक्षारम्भ	10 जुलाई 2015 से
ख. पाठ्येत्तर गतिविधियां		
1.	छात्रसंघ निर्वाचन	30 सितम्बर, 2015 तक
2.	एन॰सी॰सी॰ तथा एन॰एस॰एस॰	25 सितम्बर से 25 अक्टूबर 2015 तक
3.	अन्तर विश्वविद्यालयीय / अन्तरविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ	15 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 तक
ग. अन्यशैक्षिक गतिविधियाँ		
1.	शिक्षक दिवस	5 सितम्बर 2015
2.	गाँधी/शास्त्री जयन्ती	2 अक्टूबर 2015
3.	नेहरु जयंती	14 नवम्बर, 2015
4.	डा॰ सम्पूर्णानन्द जयंती	1 जनवरी 2016
5.	दीक्षांत महोत्सव	15 नवम्बर, 2015 से 15 दिसम्बर, 2015 के मध्य कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति के अनुसार
6.	वि॰वि॰ स्थापना दिवस	चैत्र शुक्ल द्वितीया
7.	विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय स्तर पर जयन्तियाँ	निर्धारित तिथि के अनुसार
8.	संगोष्ठियां/सम्मेलन एवं अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम	25 सितम्बर से 25 अक्टूबर 2015 तक एवं 25 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 तक

घ	कक्षा समाप्त	15 अप्रैल, 2016
ङ. परीक्षा		
1.	वार्षिक परीक्षा	21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2016 तक
2.	परीक्षाफल प्रकाशन	30 जून 2016 तक

जुलाई-2015(6)					
पर्वीय अवकाश			**साप्ताहिक अवकाश**		
पर्व	**दिन**	**दिनांक**	**पर्व**	**दिन**	**दिनांक**
रमजान का अंतिम शुक्रवार	शुक्रवार	17.07.2015	प्रतिपदा	शुक्रवार	03.07.2015
ईद-उल-फितर	शनिवार	18.07.2015	अष्टमी	बुद्धवार	08.07.2015
गुरूपूर्णिमा	शुक्रवार	31.07.2015	प्रतिपदा	शुक्रवार	17.07.2015
			अष्टमी	शुक्रवार	24.07.2015
अगस्त-2015(7)					
स्वतन्त्रता-दिवस	शनिवार	15.08.2015	प्रतिपदा	शनिवार	01.08.2015
नाग पञ्चमी	गुरूवार	20.08.2015	अष्टमी	शुक्रवार	07.08.2015
श्रावणी उपाकर्म/रक्षाबन्धन	शनिवार	29.08.2015	प्रतिपदा	शनिवार	15.08.2015
			अष्टमी	रविवार	23.08.2015
			प्रतिपदा	रविवार	30.08.2015
सितम्बर-2015(8)					
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	शनिवार	05.09.2015	अष्टमी	शनिवार	05.09.2015
कुशोत्पाटनी अमावस्या	रविवार	13.09.2015	प्रतिपदा	सोमवार	14.09.2015
विश्वकर्मा पूजा	गुरूवार	17.09.2015	अष्टमी	सोमवार	21.09.2015
ईदुज्जुहा (बकरीद)	शुक्रवार	25.09.2015	प्रतिपदा	सोमवार	28.09.2015
अनन्तचतुर्दशीव्रत	रविवार	27.09.2015			
अक्टूबर-2015(18)					
महात्मा गाँधी जयन्ती	शुक्रवार	02.10.2015	अष्टमी	गुरुवार	05.10.2015
मातृ नवमी	मंगलवार	06.10.2015	प्रतिपदा	मंगलवार	13.10.2015
पितृ विसर्जन/सर्वपैत्री अमावस्या	सोमवार	12.10.2015	अष्टमी	बुधवार	21.10.2015
महाराजा अग्रसेन जयन्ती	मंगलवार	13.10.2015	प्रतिपदा	बुधवार	28.10.2015
शारदीय नवरात्र अवकाश	बुधवार से गुरूवार तक	14.10.2015 22.10.2015			
भरत मिलाप	शुक्रवार	23.10.2015			
मोहर्रम	शनिवार	24.10.2015			

वाल्मीकी जयन्ती/ शरद पूर्णिमा	मंगलवार	27.10.2015			
नवम्बर-2015(10)					
धनवंतरि पूजन	सोमवार	09.11.2015	अष्टमी	मंगलवार	03.11.2015
हनुमज्जयन्नती/नरक चतुर्दशी	मंगलवार	10.11.2015	प्रतिपदा	गुरुवार	12.11.2015
दीपावली	बुधवार	11.11.2015	अष्टमी	गुरुवार	19.11.2015
गोवर्धन पूजा	गुरुवार	12.11.2015	प्रतिपदा	गुरुवार	26.11.2015
भातृ द्वितीया(भाई दूज)/चित्रगुप्त जयंती	शुक्रवार	13.11.2015			
हरिप्रबोधनी एकादशी	रविवार	22.11.2015			
गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा	बुधवार	25.11.2015			
दिसम्बर-2015(8)					
डा॰भीमराव अम्बेडर परिनिर्वाण दिवस	रविवार	06.12.2015	अष्टमी	गुरुवार	03.12.2015
चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस	बुधवार	23.12.2015			
बाराहवफात	गुरुवार	24.12.2015	प्रतिपदा	शनिवार	12.12.2015
क्रिसमस डे	शुक्रवार	25.12.2015	अष्टमी	शनिवार	19.12.2015
			प्रतिपदा	शनिवार	26.12.2015
जनवरी-2016(6)					
मकर संक्रान्ति	शुक्रवार	15.01.2016	अष्टमी	शनिवार	02.01.2016
गणतन्त्र दिवस	मंगलवार	26.01.2016	प्रतिपदा	रविवार	10.01.2016
			अष्टमी	रविवार	17.01.2016
			प्रतिपदा	सोमवार	25.01.2016
फरवरी-2016(7)					
मौनी अमावस्या	सोमवार	08.02.2016	अष्टमी	सोमवार	01.02.2016
बसन्त पञ्चमी	शुक्रवार	12.02.2016	प्रतिपदा	मंगलवार	09.02.2016
माघी पूर्णिमा/रविदास जयन्ती	सोमवार	22.02.2016	अष्टमी	सोमवार	15.02.2016
			प्रतिपदा	मंगलवार	23.02.2016
मार्च-2016(8)					
महाशिवरात्रि	सोमवार	07.03.2016			
होली अवकाश	मंगलवार	22.03.2016	अष्टमी	बुधवार	02.03.2016
		से	प्रतिपदा	बुधवार	09.03.2016
	गुरूवार	24.03.2016	अष्टमी	बुधवार	16.03.2016
गुड फ्राईडे	शुक्रवार	25.03.2016	प्रतिपदा	गुरुवार	24.03.2016

अप्रैल-2016(10)					
मेष संक्रान्ति / डा॰भी॰रा॰अम्बेडकर जयन्ती	बुधवार	13.04.2016	अष्टमी	शुक्रवार	01.04.2016
रामनवमी	शुक्रवार	15.04.2016	प्रतिपदा	शुक्रवार	08.04.2016
चन्द्रशेखर सिंह जयन्ती	रविवार	17.04.2016	अष्टमी	गुरुवार	14.04.2016
महावीर जयन्ती	बुधवार	20.04.2016	प्रतिपदा	शनिवार	23.04.2016
मो॰हजरत अली जयन्ती	गुरूवार	21.04.2016	अष्टमी	शनिवार	30.04.2016
मई-2016(7)					
परशुराम जयन्ती	रविवार	08.05.2016	प्रतिपदा	शनिवार	07.05.2016
अक्षय तृतीया/महाराणा प्रताप जयन्ती	सोमवार	09.05.2016			
बुद्ध पूर्णिमा/वैशाख पूर्णिमा	शनिवार	21.05.2016	अष्टमी	शनिवार	14.05.2016
			प्रतिपदा	रविवार	22.05.2016
			अष्टमी	रविवार	29.05.2016
जून-2016(6)					
गंगा दशहरा	मंगलवार	14.06.2016	प्रतिपदा	सोमवार	06.06.2016
निर्जला एकादशी	गुरूवार	16.06.2016	अष्टमी	रविवार	12.06.2016
			प्रतिपदा	मंगलवार	21.06.2016
			अष्टमी	मंगलवार	28.06.2016

विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से समिति द्वारा संस्तुत सत्र 2015-16 के शैक्षिक कैलेण्डर एवं अवकाश सूची पर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यक्रम संख्या -23- विश्वविद्यालय के पाँच उपाचार्यो को एसोशिएट प्रोफेसर पदनाम एवं पे॰बैण्ड-4- 37400-6700 ए॰जी॰पी॰ -9000 अनुमन्य करने की सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत अधोलिखित उपाचार्यो को नियमानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसोशिएट प्रोफेसर पदनाम एवं पे॰ बैण्ड-4 37400-67000, ए॰सी॰पी॰-9000 विश्वविद्यालय आदेश सं॰सा॰775/2015, दिनांक 01.09.2015 द्वारा अनुमन्य किया गया है।

क्र॰सं॰	नाम	दिनांक
1.	डा॰ महेन्द्र पाण्डेय	12.02.2012
2.	डा॰ कमलाकान्त त्रिपाठी	14.02.2012
3.	डा॰ शशीरानी मिश्रा	31.07.2012
4.	डा॰ ललित कुमार चौबे	31.07.2012
5.	दुर्गानन्दन प्रसाद तिवारी	03.04.2013

परिषद् उक्त सूचना से अवगत हुयी और अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -24- श्रीमती रंजना पत्नी स्व॰ अनिल कुमार का मृतक आश्रित परिनियमावली के अंतर्गत नैत्यिक लिपिक पद पर नियुक्ति की सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय आदेश सं॰सा॰785/2015, दिनांक 01.09.2015 द्वारा मृतक आश्रित परिनियमावली के अंतर्गत श्रीमती रंजना पत्नी स्व॰ अनिल कुमार की नियुक्ति नैत्यिक लिपिक पद पर वेतन बैण्ड 5200-20,200 ग्रेड वेतन -1900 में की गयी है।

परिषद् उक्त सूचना से अवगत हुयी और अपनी स्वीकृति प्रदान किया।

कार्यक्रम संख्या -25- प्रो॰ केदार नाथ त्रिपाठी, आचार्य व्याकरण विभाग को प्राक्टर नियुक्त करने की सूचना।

परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियम 2.28 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रो॰ केदार नाथ त्रिपाठी, आचार्य, व्याकरण विभाग को उनकी अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने की तिथि (दिनांक 30.09.2015) तक के लिए प्राक्टर नियुक्त किये है।

परिषद् उक्त सूचना से अवगत होते हुए प्रो॰ केदारनाथ त्रिपाठी की प्राक्टर पद पर की गयी नियुक्ति पर अपनी स्वीकृति प्रदान किया।

कार्यक्रम संख्या -26- कैरियर काऊसिंग एवं गाईडेन्स सेल द्वारा Where is my Pandit (WMP) के प्रस्ताव पर की गयी संस्तुति पर विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि Where is my Pandit (WMP) के अध्यक्ष नियंत्रक श्री अरूण पोद्दार के दिनांक 20.02.2015 के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के कैरियर काउंसलिंग एवं गाईडेन्स सेल ने अपनी बैठक दिनांक 25.02.2015 में विस्तृत चर्चा की तथा निम्नाकिंत संस्तुति की-

1- छात्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था (WMP) की होगी। कोई छात्र यदि संस्था के आहूत करने पर कर्मकाण्ड करने जाता है उस समय अथवा यात्रा के दौरान उसके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना होने पर संस्था (WMP)उसकी क्षतिपूर्ति करेंगी।
2- संस्था (WMP) छात्र को पारिश्रमिक देकर उससे उसकी रसीद प्राप्त कर विश्वविद्यालय को उसी एक प्रति प्रेषित करेंगी।
3- कान्ट्रेक्ट साईन करने के पूर्व ट्रायल के रूप में 55 छात्र का चयन कर नवरात्रि के समय भेजा जाय। 11-11 छात्रों के पाँच समूह भेजे जाय। जिनमें एक प्रधान तथा अन्य सहायक होंगे।
4- उपर्युक्त छात्रों का चयन दिनांक 9, 10, व 11 मार्च 2015 को सायं तीन बजे से कैरीयर काँउसलिंग एवं गाईडेन्स प्रकोष्ठ में होगा।
5- उन छात्रो एवं कम्पनी के फीड़ बैक के आधार पर ही संस्था (WMP) के साथ कान्ट्रेक्ट साईन किया जायेगा।
6- 5 लाख रूपये सिक्योरिटी मनी के रूप में संस्था (WMP) विश्वविद्यालय में जमा करेगी। उपरोक्त ट्रायल के पश्चात् कान्ट्रैक्ट साईन न होने की अवस्था में यह राशि वापस कर दी जायेगी। कान्ट्रैक्ट साईन होने की अवस्था में यह राशि धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेगी। कान्ट्रैक्ट समाप्त होने पर संस्था (WMP) को वापस कर दी जायेगी।
7- विश्वविद्यालय द्वारा कैरीयर काऊंसलिंग एवं गाईडेन्स सेल के नाम से बैंक एकाउन्ट खोला जायेगा। जो समन्वयक द्वारा संचालित होगा।

Where is my Pandit (WMP) **के संस्था के प्रस्ताव एवं उसके संदर्भ में विश्वविद्यालय के कैरियर कांउसलिंग एवं गाईडेन्स सेल द्वारा की गयी संस्तुति पर**

गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि कैरियर कांउसलिंग एवं गाईडेन्स सेल द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार सर्वप्रथम सम्बन्धित संस्था से अनुबंध किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

1- शिक्षाशास्त्र विभाग के पाठ्यक्रम पर विचार :-

परिषद् की सदस्या एवं शिक्षाशास्त्र विभाग की विभागाध्याक्ष डा॰ लतापंत तैलंग ने अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् को अवगत कराया कि शिक्षाशास्त्र विभाग में छात्रों का प्रवेश हो गया है तथा शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा विभागीय अध्ययन बोर्ड के माध्यम से NCTE के दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षाशास्त्री (बी॰एड॰) एवं शिक्षाचार्य (एम॰एड॰) पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है। पाठ्यक्रम निर्धारित प्राधिकरण/निकायों से स्वीकृत न होने के कारण शिक्षाशास्त्र विभाग के अंतर्गत शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम के छात्रों के अध्ययन-अध्यापन कार्य कराने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। ऐसी स्थिति में छात्रहित में परिषद् से अनुरोध है, कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में कोई निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

परिषद् की सदस्या द्वारा की गयी उपर्युक्त मांग पर मा॰ सदस्य प्रो॰ प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि पाठ्यक्रम संशोधन प्रकरण पर विचार सम्बन्धित संकाय बोर्ड एवं विद्यापरिषद् की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद् द्वारा किया जाता है। अतः इस प्रकरण पर अभी विचार करना उचित नही है। परिषद् के सदस्य डा॰ रमेश प्रसाद सहित अन्य कई सदस्यों ने भी परिषद् में यह कहा कि शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम पर छात्रहित एवं विश्वविद्यालय हित में निर्णय शीघ्र होना चाहिए जिससे विश्वविद्यालय सहित अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षाशास्त्री परीक्षा पाठ्यक्रम में छात्रों के अध्ययन अध्यापन में बाधा न उत्पन्न हो।

तत्पश्चात् विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने छात्रहित में सर्वसम्मत्ति से अधिनियम, परिनियम एवं अन्य व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षाशास्त्र विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम संशोधन पर नियम संगत निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

2- संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद संकाय के पत्र पर विचार :-

अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद् के समक्ष प्रो.एस.एन.सिंह संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद संकाय के अधोलिखित पत्र संख्या-रा.आयु॰ 5488/2015, दिनांक 09.09.2015 प्रस्तुत किया गया।

प्रेषक,
संकायाध्यक्ष,
आयुर्वेद संकाय,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

सेवामें,
माननीय कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी।

संख्या रा०आयु० 5488/15 दिनांक 09.09.15

विषय— राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी के बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) के छात्र/छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी से बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) के सम्पूर्ण परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में 1- मंगनीराम बागड स्वर्ण पदक 2 पं० दयाशंकर द्विवेदी स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता रहा है। किन्तु विगत कुछ वर्षों से यह पदक विद्यार्थियों को प्रदान नहीं किया जा रहा है जो कि पूर्व के वर्षों में यह स्वर्ण पदक तत्कालीन पाठ्यक्रमानुसार पांचों वर्षों के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान किया जा रहा था।

उल्लेखनीय है कि बी०ए०एम०एस० (आयुर्वेदाचार्य) में अब परीक्षायें वर्षीय न होकर व्यवसायिक में भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद (सी०सी०आई०एम०), नई दिल्ली के द्वारा परिवर्तित होने के कारण उक्त व्यवस्था बाधित हुई।

अतएव उक्त को दृष्टिगत करते हुए महाविद्यालय का यह प्रस्ताव है कि प्रथम व्यवसायिक से अन्तिम व्यवसायिक के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय द्वारा उस वर्ष प्रदान किया जाये जिस वर्ष छात्र/छात्रा को परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि छात्र हित में यह स्वर्ण पदक उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2015 में दीक्षान्त समारोह के अवसर पर सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कार्यपरिषद् में रखें
10.9.15

भवदीय
(प्रो० एस०एन० सिंह)
संकायाध्यक्ष,
आयुर्वेद संकाय,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी

आयुर्वेद संकाय के संकायाध्यक्ष के उपर्युक्त पत्र पर विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को पूर्व से स्वीकृत मंगनीराम बागड़ स्वर्ण पदक एवं पं.दयाशंकर द्विवेदी स्वर्ण पदक दीक्षान्त समारोह के अवसर प्रदान किया जाय। तथा इन पदकों का निर्धारण, ''संकायाध्यक्ष आयुर्वेद संकाय द्वारा किये गये प्रस्ताव

कि प्रथम व्यवसायिक से अंतिम व्यवसायिक के योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय द्वारा उस वर्ष प्रदान किया जाये जिस वर्ष छात्र/छात्रा को परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।'' के अनुसार किया जायें।

3- रिट याचिक संख्या-15968/2015 प्रबंधक श्री उमा महेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जौनपुर बनाम उ.प्र. शासन तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.07.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना।

परिषद् के समक्ष रिट याचिका संख्या-15968/2015 प्रबंधक श्री उमा महेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जौनपुर बनाम उ.प्र॰ शासन तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.07.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित अधोलिखित निर्णय की सूचना प्रस्तुत की गयी।

<u>निर्णय</u>

रिट याचिका संख्या-15968/2015 प्रबन्धक श्री उमा महेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जौनपुर बनाम उ.प्र॰ तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.07.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गए हैं –

".....In view of the aforesaid facts and circumstances, the petition is disposed of with a direction to the Registrar, Sampoornanand Sanskrit Vishwavidhyalaya, Varanasi, respondent no. 3, to consider and pass appropriate order on the representation of the petitioners dated 21.02.2015 in accordance with law within a period of two months from the date of production of certified copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रबन्धक ने दिनांक 07.08.2015 को मा॰न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि उनके महाविद्यालय को वर्ष 1995 में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.08.1995 में लिए गये निर्णय के आधार पर शास्त्री-व्याकरण,साहित्य की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी जिसे स्थायी नहीं किया गया है और शासन में उनके महाविद्यालय को अस्थायी मान्यता लिखकर भेजा गया है उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जनवरी, 2015 में कार्यपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय, जिनके अन्तर्गत 107 महाविद्यालयों को स्थायीकरण करके सूचना भेजी गयी है, उसी आधार पर याचिकाकर्ता के महाविद्यालय को भी स्थायीकरण की मान्यता प्रदान किया जाय।

इस महाविद्यालय के विषय में कार्यालय द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गयी है, उसके अनुसार महाविद्यालय को 1995 से शास्त्री व्याकरण,साहित्य की अस्थायी मान्यता रही है जो अद्यावधि चली आ रही है और प्रतिवर्ष वहाँ पर छात्रों के परीक्षावेदन पत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त हो रहे हैं और उनकी परीक्षायें भी हो रही है। इसी प्रकार कार्यालय ने अपनी टिप्पणी में पत्रावली के पृष्ठ संख्या-3 पर यह भी उल्लेख किया है कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.08.1995 में मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16.08.1995 के बिन्दु-5 में यह प्रस्ताव पास हुआ कि स्थायीकरण कम से कम 3 परीक्षा वर्ष पूर्ण होने पर ही सम्भव होगा। कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय के आधार पर महाविद्यालय की स्थायी मान्यता वर्ष 1999 में देय बनती है इसलिए कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में महाविद्यालय की अस्थायी मान्यता के तीन वर्ष के पश्चात् अर्थात् 20 अगस्त 1999 से स्थायी मान्यता स्वीकार की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2015 के आलोक में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 21.02.2015/07.08.2015 को निस्तारित किया जाता है।परिषद् निर्णय से अवगत होते हुए, उक्त निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

4- श्री भवानन्द सं.म.वि. पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ के मान्यता के सन्दर्भ में विचारः-

अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् के सदस्यों ने श्री भवानन्द सं.म.वि॰ पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ को वर्ष 1978 में कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदत्त आचार्य (साहित्य/व्याकरण) की स्थायी मान्यता को अनुमोदन करने के सम्बन्ध में विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय के

मान्यता स्थायीकरण से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय।

5- प्रो. श्रीकान्त पाण्डेय सेवानिवृत्त आचार्य के आवास किराया छूट पर विचार :-

अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद् ने प्रो. श्रीकान्त पाण्डेय सेवानिवृत्त आचार्य के आवास किराया छूट सम्बन्धी दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2015 पर विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्देश दिया कि चूंकि प्रकरण के संदर्भ में वित्त समिति अपनी बैठक दिनांक 24.03.2015 में अपनी संस्तुति दे चुकी है और प्रकरण भी वित्त से सम्बन्धित है। अतः प्रो. पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए संस्तुति करने के लिए प्रो. पाण्डेय का प्रार्थना पत्र वित्त समिति को पुनः विचारार्थ संदर्भित किया जाय।

6- अतिथि व्यख्याताओं के मानदेय पर विचार:-

अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों ने परिषद् के समक्ष विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बहुत कम है इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से निर्देश दिया कि कार्यपरिषद् की भावना से अवगत कराते हुए वित्त समिति से मानदेय वृद्धि पर विचार कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय।

7- अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र पर विचार :-

अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों ने श्री सुशील कुमार तिवारी अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र जो विश्वविद्यालय परिसर में आवासित शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मियों से काल्पित आधार पर वसूले जा रहे अत्यधिक विद्युत शुल्क/अधिभार के कारण उत्पन्न समस्या के उपशमन के सन्दर्भ में है, पर विचार करते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्देश दिया कि प्रकरण विद्युत शुल्क निर्धारण के सन्दर्भ में है। अतः प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया जाय।

विचार के क्रम में परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के आवास में आवासित जो आवासी ए.सी. का उपभोग कर रहे है, और उनके द्वारा सूचना न दिये जाने के कारण उनसे नियमानुसार विद्युत शुल्क नही वसूला जा रहा है, उनको चिन्हित करते हुए उन आवासियों से दुगुने रेट से विद्युत मूल्य वसूल किया जाय।

8- श्रीमती चन्द्रकली देवी पत्नी स्व.हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी के पेंशन भुगतान सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर विचार

अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् ने श्रीमती चन्द्रकली देवी पत्नी स्व.हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी के पेंशन भुगतान सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्य कार्यपरिषद् के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

9- आरक्षण रोस्टर निर्धारण पर विचार:-

कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर निर्धारण करने के लिए समिति गठित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव जी
कुलपति जी
ह. अनुमोदनार्थ
04.10.15

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

F:\Word\hp\11.09.2015\11.09.2015